झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012

अध्याय–1
नियमावली का नाम एवं परिभाषाएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) यह नियमावली झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली,2012 कही जा सकेगी ।

(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरुप होगा।

2. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011,

(2) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा,

(3) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद–243 Q के तहत गठित सभी शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत) यथा राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित,

(4) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, नगर विकास विभाग,

(5) ''निर्वाचन'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका के महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा पार्षद की रिक्ति को भरने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन,

(6) ''उप निर्वाचन'' से अभिप्रेत है आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए किया जानेवाला निर्वाचन,

(7) ''आयोग'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ट) सहपठित 243(य क) में उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग,

(8) ''जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)'' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संचालनार्थ आयोग द्वारा पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी,

(9) ''निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका)'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत **राज्य** निर्वाचन आयोग द्वारा, या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर नियुक्त वैसा पदाधिकारी,

(10) ''सहायक निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका)'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर नियुक्त वैसा पदाधिकारी,

(11) ''पीठासीन पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा नियुक्त वैसा पदाधिकारी,

(12) ''मतदाता'' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तैयार की गयी निर्वाचक (मतदाता) सूची में अंकित व्यक्ति,

(13) ''मतदाता सूची'' से अभिप्रेत है राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग जो किसी शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है,

(14) ''मतदाता सूची की चिन्हित प्रति'' से अभिप्रेत है मतदाता सूची की वह प्रति जो किसी निर्वाचन में मतपत्र/मत दिये जाने हेतु मतदाता के नामों को चिन्हित करने के प्रयोजनार्थ अलग **से** संधारित की जाती हो,

(15) (i)''प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र,

(ii) ''निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकायों के महापौर/ अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र,

(16) ''मतदान केन्द्र'' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदान के लिए नियत स्थान,

(17) ''मतदान पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा नियुक्त वैसा पदाधिकारी,

(18) ''वार्ड पार्षद'' या ''वार्ड सदस्य'' से अभिप्रेत है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य,

(19) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची,

(20) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र; अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिस्थिति विशेष तथा व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए यथा संशोधित प्रपत्र,

(21) ''मतपेटी'' से अभिप्रेत है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कोई पेटी या अन्य पात्र जो निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता द्वारा मत डालने के काम में लाया जाता हो,

(22) ''वोटिंग मशीन'' अथवा ''इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन'' (ई0वी0एम0) से अभिप्रेत है मतदान के प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित e'khu]

(23) ''भ्रष्ट आचरण'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 586 में वर्णित आचरण,

(24) उन शब्दों तथा पदों का जिनका इस नियमावली में व्यवहार किया गया है, किन्तु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए प्रयुक्त हो,

अध्याय–2

निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं संख्यांकन

3. शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं अन्य विषय –

(1) (क) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में निर्वाचन के निमित्त उसके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) में ऐसी रीति से विभक्त किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य उस शहरी स्थानीय निकाय में समरूप हो ।

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समीपस्थ क्षेत्र रहेंगे एवं वह इस प्रकार गठित किया जाएगा कि प्रत्येक **प्रादेशिक** निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य समान होगी और प्रत्येक **प्रादेशिक** निर्वाचन क्षेत्र की निश्चित भौगोलिक सीमा होगी जो प्राकृतिक या कृत्रिम चिन्हों/वस्तु–स्थल (Land Marks) के माध्यम से सुस्पष्ट रुप से पृथक की जा सके।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम की कुल जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जायेगी। जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम में अनुमान्य वार्डों की संख्या यथाशक्य निम्न प्रकार होगीः–

(i) नगर पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन–

क्र०	नगर पंचायत की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	नगर पंचायत जहाँ न्यूनतम जनसंख्या 12000 **एवं 12000** से अधिक **तथा** 40,000 से कम **हो।**	(i) प्रथम 12000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या–10 होगी। इसके पश्चात प्रत्येक 2800 की जनसंख्या पर 1 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन हो सकेगा। (ii) कंडिका (i) में विभक्त किये गये वार्डो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी, अर्थात् प्रत्येक 2800 की जनसंख्या वृद्धि सभी वार्डो में समान रूप से विभक्त होगी, यथा 12000 की जनसंख्या के पश्चात् कुल जनसंख्या में 2800 की वृद्धि के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 12000+2800= 14800 होने पर उक्त नगर पंचायत क्षेत्र में 1 (एक) अतिरिक्त (10+1= 11) वार्ड का गठन होगा तथा तदनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 14800 ÷ 11= 1345 होनी चाहिए। इस प्रकार 39,999 तक की जनसंख्या पर गठित नगर पंचायत में अधिकतम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या– 20 होगी। (iii) वार्डो को प्राकृतिक /कृत्रिम चिन्हों/ वस्तु–स्थलों (Land Marks)के आलोक में विभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार जनसंख्या की समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सम्भव न हो तो 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य **हो** सकेगी।

(ii) नगर परिषद वर्ग–''क''/वर्ग–''ख'' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठनः–

क्र०	**नगर परिषद वर्ग–''क''/ वर्ग–''ख'' की जनसंख्या**	**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या**
1	नगर परिषद वर्ग–**''ख'' जहाँ जनसंख्या 40000 एवं 40000 से अधिक परन्तु 100000 से कम हो।**	(i) प्रथम 40000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या–20 होगी। इसके पश्चात प्रत्येक 6000 की जनसंख्या पर 1 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन हो सकेगा। (ii) कंडिका (i) में विभक्त किये गये वार्डो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी,

		अर्थात् प्रत्येक 6000 की जनसंख्या वृद्धि सभी वार्डो में समान रूप से विभक्त होगी, यथा 40000 की जनसंख्या के पश्चात् कुल जनसंख्या में 6000 की वृद्धि के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 40000+6000= 46000 होने पर उक्त नगर परिषद क्षेत्र में 1 (एक) अतिरिक्त (20+1= 21) वार्ड का गठन होगा तथा तदनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 46000 ÷ 21= 2190 होनी चाहिए। इस प्रकार 99999 तक की जनसंख्या पर गठित नगर परिषद में अधिकतम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या– 30 होगी। (iii) वार्डो को प्राकृतिक /कृत्रिम चिन्हों/ **वस्तु–स्थलों** (Land Marks)के आलोक में विभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार जनसंख्या की समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सम्भव न हो तो 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य होगी।
2	नगर परिषद वर्ग–''**क**'' **जहाँ जनसंख्या 100000 एवं 100000 से अधिक परन्तु 1,50,000 से कम हो।**	(i) प्रथम 100000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या–30 होगी। इसके पश्चात प्रत्येक 10000 की जनसंख्या पर 1 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन हो सकेगा। (ii) कंडिका (i) में विभक्त किये गये वार्डो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी, अर्थात् प्रत्येक 10000 की जनसंख्या वृद्धि सभी वार्डो में समान रूप से विभक्त होगी, यथा 100000 की जनसंख्या के पश्चात् कुल जनसंख्या में 10000 की वृद्धि के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 100000+10000= 110000 होने पर उक्त नगर परिषद क्षेत्र में 1 (एक) अतिरिक्त (30+1= 31) वार्ड का गठन होगा तथा तदनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 110000 ÷ 11= 3548 होनी चाहिए। इस प्रकार 149999 तक की जनसंख्या पर गठित नगर परिषद में अधिकतम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या– 35 होगी। (iii) वार्डो को प्राकृतिक /कृत्रिम चिन्हों/ वस्तु–स्थलों (Land Marks)के आलोक में विभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार जनसंख्या

		की समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सम्भव न हो तो 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य होगा।

(iii) नगर निगम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठनः–

क्र०	नगर निगम की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	नगर निगम की जनसंख्या न्यूनतम 150000 एवं उससे अधिक हो।	(i) प्रथम 150000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या–35 होगी। इसके पश्चात प्रत्येक 50000की जनसंख्या पर 1 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन हो सकेगा। (ii) कंडिका (i) में विभक्त किये गये वार्डो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी, अर्थात् प्रत्येक 50000 की जनसंख्या वृद्धि सभी वार्डो में समान रूप से विभक्त होगी, यथा 150000 की जनसंख्या के पश्चात् कुल जनसंख्या में 50000 की वृद्धि के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 150000+50000= 200000 होने पर उक्त नगर निगम क्षेत्र में 1 (एक) अतिरिक्त (35+1= 36) वार्ड का गठन होगा तथा तदनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 200000 ÷ 36= 6944 होनी चाहिए। (iii) वार्डो को प्राकृतिक/कृत्रिम चिन्हों/वस्तु–स्थलों (Land Marks)के आलोक में विभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार जनसंख्या की समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सम्भव न हो तो 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण – प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के निर्धारण में गणना के निमित्त गणना में आधे से कम भाग को शून्य माना जाएगा तथा आधे या आधे से अधिक भाग को एक माना जाएगा।''

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के महापौर अथवा अध्यक्ष, जैसा भी लागू हो, संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और इस

प्रयोजनार्थ संबंधित नगरपालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, उसका निर्वाचन क्षेत्र होगा।

(3) निर्वाचन क्षेत्रों/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का संख्यांकन

(क) राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को श्रेणीवार उत्तर पश्चिम से प्रारम्भ कर दक्षिण पूर्व की ओर क्रमवार निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में उत्तर पश्चिम से प्रारम्भ कर दक्षिण पूर्व की ओर क्रमवार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में संख्यांकित किया जाएगा।

(ग) निर्वाचन क्षेत्रों/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संख्यांकन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा आवश्यक निर्देश दिए जा सकेंगे।

4. निर्वाचन/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो)की सूची का प्रकाशन –

(1)(क) जिला दण्डाधिकारी द्वारा नियम–3 के अधीन बनाए गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (प्रपत्र–1 प्रारूप में), जिला दण्डाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

(ख) उप–नियम (क) के अधीन प्रकाशित सूची में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति लिखित रूप में सूची प्रकाशित किये जाने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को दी जा सकेगी।

(ग) उप–नियम (ख) के अधीन आपत्ति प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जॉच के उपरान्त जिला दण्डाधिकारी अपना विनिश्चय करेगा जो अंतिम होगा एवं यह विनिश्चय उप–नियम (ख) में निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि के अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा।

(घ) विनिश्चित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची प्रपत्र–1 (अंतिम) में तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय में तथा जिला गजट में प्रकाशित कराएगा एवं इन सभी सूचियों की प्रतियाँ राज्य निर्वाचन आयोग तथा नगर विकास विभाग को भेजेगा।

(ड.) राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस विचार का हो, कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त

कारण है, तो उपनियम (घ) के अधीन स्थापित किसी वार्ड की वैधानिकता एंव औचित्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इसके निमित सुसंगत अभिलेखों की मांग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन उचित एवं युक्तियुक्त समझेः

परन्तु यह कि राज्यपाल द्वारा नियमावली के नियम 34 के अधीन स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचन के तिथि अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगा।

2. नियम 3 के उप नियम (2) के क्रम में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) की सूची निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रपत्र–1 में प्रकाशित की जाएगी।

अध्याय–3

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों एवं पदों का आरक्षण एवं आवंटन

5. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन–

(1) प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद के स्थानों के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए, अनुमान्य संख्या में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा।

(क) प्रत्येक नगरपालिका के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना प्रपत्र–2 के भाग–एक में अधिनियम की धारा 16(2) के प्रावधानों के अधीन अंकित की जाएगी।

(i) इसमें सर्वप्रथम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या का नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु अनुमान्य स्थानों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

(ii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के पश्चात् प्रत्येक नगरपालिका में कुल स्थानों के पचास प्रतिशत की

अधिसीमा के अन्तर्गत शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु अनुमान्य स्थानों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

(iii) उप नियम (ii) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के पश्चात् शेष बचे स्थान अन्य कोटि के लिए अवधारित हो जाएंगे।

(टिप्पणी– उपाबद्व अनुसूची में उदाहरण–1 देखें।)

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की कोटिवार जनसंख्या प्रपत्र–2 के भाग–दो में क्रमवार अंकित की जाएगी।

(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र–2 के भाग–तीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमवार सजाया जाएगा।

अधिकतम जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रपत्र–2 के भाग–एक में निर्धारित की गई अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र–2 के भाग– तीन में आरक्षित एवं आवंटित किए जाएगें।

उक्त आरक्षण एवं आवंटन में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उपाबद्व अनुसूची के उदाहरण–1 मार्गदर्शन के लिए अंकित की गई है।

(टिप्पणी– उपाबद्व अनुसूची में उदाहरण–1 देखें।)

(घ)(i) उप नियम (ग) में इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित एवं अन्य के लिए अवधारित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जैसा भी मामला हो, की महिलाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।

(ii) इस प्रकार प्रत्येक कोटि के लिए आवंटित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान उसी कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक कोटि की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सामान्यतः प्रथम स्थान पर आने वाले और उसके बाद चक्रानुक्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को उस कोटि की महिलाओं के लिए इस प्रकार आवंटित किया जाएगा कि महिलाओं को पचास प्रतिशत से अनधिक तक स्थान आरक्षित एवं आवंटित हो जाए।

(ड.) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण प्रपत्र–2 के भाग–चार में तैयार किया जाएगा।

(2)(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन/अवधारण अनुवर्त्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में लागू होगा।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कोटियों में महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित स्थान अनुवर्त्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरक्षित/आवंटित किए जाएंगे।

6. निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) के पदों का आरक्षण एवं आवंटन–

(1) अधिनियम की धारा 27 के अधीन नगरपालिका (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) के महापौर/ अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में पदों का आरक्षण एवं आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(क) राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के तीन अलग–अलग श्रेणियों में माना जाएगा।

राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) यथा नगर निगम, नगर परिषद (क+ख श्रेणी कुल) एवं नगर पंचायत को प्रपत्र–2 के भाग–एक (तीनों श्रेणियों के लिए अलग–अलग) में राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार अधिनियम की धारा 27(2) के अधीन अध्यक्ष/ महापौर के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

(i) प्रत्येक श्रेणी में पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में इन कोटियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु निर्धारित की जाएगी।

(ii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पदो ंके आरक्षण के पश्चात प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों के पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत शेष बचे पदों में पिछड़े वर्गों को राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु अनुमान्य पदों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

(iii) उप नियम (ii) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के पश्चात् शेष बचे पद अन्य कोटि के लिए अवधारित हो जाएंगे।

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओंः श्रेणीवार अलग–अलग) की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की कोटिवार जनसंख्या प्रपत्र–2 के भाग–दो में क्रमवार अंकित की जाएगी।

(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र–2 के भाग–तीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमवार सजाया जाएगा।

अधिकतम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, प्रपत्र–2 के भाग– एक में निर्धारित की गई अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र–2 के भाग– तीन में आरक्षित एवं आवंटित किए जाएगें।

(घ)(i) उप नियम (ग) में इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित एवं अन्य के लिए अवधारित पदों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जैसा भी मामला हो, की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(ii) प्रत्येक कोटि की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सामान्यतः प्रथम स्थान पर आने वाले एवं उसके बाद चक्रानुक्रम में निर्वाचन क्षेत्र को उस कोटि की महिलाओं के लिए इस प्रकार आवंटित किया जाएगा कि महिलाओं को पचास प्रतिशत से अनधिक पद आरक्षित एवं आवंटित हो जाए।

(ड.) इस प्रकार आरक्षित/ अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण प्रपत्र–2 के भाग–चार में तैयार किया जाएगा।

(2)(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन/अवधारण अनुवर्त्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में लागू होगा।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कोटियों में महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित पद अनुवर्त्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरक्षित/आवंटित किए जाएंगे।

आरक्षण एवं आवंटन में सिद्धान्तः वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उपाबद्व अनुसूची के उदाहरण–1 मार्गदर्शन के लिए अंकित की गई है।

(टिप्पणी– उपाबद्व अनुसूची में उदाहरण–1 देखें।)

7. आरक्षण हेतु पदों की संख्या की गणना –

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–16 एवं 27 के अधीन आरक्षण हेतु पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए गणना के निमित्त आधे से अधिक भाग को एक माना जाएगा तथा आधा या आधे से कम को छोड़ दिया जाएगा।

8. आरक्षण संबंधी पंजियों का संधारण –

आरक्षण से संबंधित पंजियों का संधारण प्रपत्र 2 में जिलास्तर पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा ।

परंतु यह कि जिला स्तर पर तैयार की गयी पंजियों की एक–एक प्रति संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त तथा आयोग कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी तथा राज्य स्तर पर तैयार की गयी पंजियों को आयोग कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा ।

9. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन –

(1) आरक्षित/ अनारक्षित किए गए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, प्रपत्र–3 में जिलास्तर पर जिला गजट में जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

(2) आरक्षित/ अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की राज्य स्तर पर सूची झारखण्ड गजट में आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

10. नगरपालिकाओं के उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के पद अनारक्षित रहेंगे।

अध्याय–4
मतदाता सूची

11. मतदाता सूची की तैयारी –

अधिनियम एवं इस नियमावली के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार / निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी ।

12. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा सहायता लेना –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मतदाता सूची की तैयारी हेतु जिलान्तर्गत पदस्थापित सरकारी सेवकों की सहायता ले सकेगा ।

13. मतदाता सूची का स्वरूप –

(1) शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार / निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची प्रपत्र–4 अथवा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए में तैयार की जाएगी और उसमें विधानसभा निर्वाचन के लिए उस समय प्रवृत मतदाता सूची में समाविष्ट नाम उनके क्रमांक सहित सम्मिलित किए जायेंगे ।

(2) विधान सभा निर्वाचन के लिए उस समय प्रवृत मतदाता सूची को विखंडित कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार / निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस तरह तैयार मतदाता सूचियों के योग से ही जैसा संदर्भ हो, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

14. मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन –

नियम 13 में तैयार प्रारुप मतदाता सूची शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालय में दस (10) दिनों तक प्रकाशित की जाएगी ।

15. मतदाता सूची का संशोधन –

नियम 13 के अधीन तैयार और नियम 14 के अधीन प्रकाशित की गई मतदाता सूची में राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में नियम 14 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लिखित आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी त्रुटि का, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निवारण कर सकेगा और तदनुरुप मतदाता सूची संशोधित की जा सकेगी।

16. मतदाता सूची की प्राप्ति–

आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।

17. मतदाता सूची का संरक्षण–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा मतदाता सूची की प्रति जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जायेगी।

18. (1) मतदान का अधिकार –

अधिनियम की धारा 553 के अध्याधीन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी नगरपालिका के मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस नगरपालिका के जिसमें वह क्षेत्र समाविष्ट है, पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य होगा,

(2) उम्मीदवार होने की पात्रता–

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अधिनियम एवं इस नियमावली या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, उस नगरपालिका अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रुप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है,

(ख) एक साथ सदस्यता का प्रतिबंध– कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका के पदधारी के रुप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डों) से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामलों में, ऐसा कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला न हो, उसे ऐसे स्थानों के लिए निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

19. शहरी स्थानीय निकाय के उम्मीदवार होने के लिए अयोग्यताएँ –

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद महापौर/अध्यक्ष/वार्ड पार्षद के रुप में पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा, यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) भारत का नागरिक नहीं हो,

(ख) राज्य विधान सभा का निर्वाचन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अयोग्य होः

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति यदि इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तो वह इस आधार पर कि वह पच्चीस वर्षों से कम आयु का है, अयोग्य नहीं होगा,

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो,

(घ) किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो,

(ड.) किसी सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णीत विकृतचित्त हो,

(च) दीवालिया अधिनिर्णीत होने हेतु आवेदन किया हो अथवा अधिनिर्णीत किया गया हो,

(छ) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया हो एवं लोक सेवा में सेवा–योजन हेतु अयोग्य घोषित किया गया हो,

(ज) भारत के भीतर या बाहर, राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा छः महीने से अधिक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा– 109 या धारा– 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट नहीं दिया गया हो, अथवा किसी अपराधिक वाद का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक समय से फरार हो,

(झ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य हो,

(ञ) नगरपालिका के अधीन वेतनभोगी हो या लाभ का पद धारण करता होः

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति नगरपालिका के अधीन लाभ का पद, केवल नगरपालिका का महापौर या अध्यक्ष या वार्ड पार्षद होने के कारण, धारण करता नहीं समझा जाएगा।

(ट) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया होः

परन्तु यह कि भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर आम चुनाव के छः वर्षों के बाद अयोग्यता समाप्त हो जाएगी,

(ठ) जिस वर्ष में निर्वाचन होना या हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस पर नगरपालिका के बकाए सभी करों का उसने भुगतान नहीं किया हो,

(ड) यदि वह अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार करता हो या जानबूझ कर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता हो, अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाए अथवा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में शारीरिक या मानसिक रुप से अक्षम हो;

(ढ) अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान हैंः

परन्तु यह कि अधिनियम के प्रवृत होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक या अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान हैं, तो वह अयोग्य नहीं होगा,

(ण) यदि वह बैठकों में परिषद से पूर्व अनुमति लिए बिना नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों या अधिवेषनों से अनुपस्थित रहे।

20. शहरी स्थानीय निकाय के महापौर/ अध्यक्ष/ वार्ड सदस्य पद के निर्वाचन हेतु विशेष योग्यता –

किसी व्यक्ति के किसी शहरी स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष / वार्ड पार्षद/ सदस्य के निर्वाचित होने के लिए नियम 18 में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष योग्यताएँ आवश्यक होगी :–

(क) वार्ड पार्षद / सदस्य पद के निर्वाचन हेतु, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जबतक वह अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो तथा अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि के दिन इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किसी भी वार्ड सदस्य के रुप में निर्वाचित किए जाने का पात्र होगा।

(ख) महापौर / अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए जाने के लिए उम्मीदवार के साथ में अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि के दिन तीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

अध्याय–5

मतदान केन्द्र की व्यवस्था

21. मतदान केन्द्र का चयन–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में मतदान केन्द्रों का चयन करेगा। मतदान केन्द्रों के चयन में यथा सम्भव यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केन्द्र किसी सरकारी भवन में ही अवस्थित हो। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग यथा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगा।

22. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं उस पर आयोग का अनुमोदन–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नियम 4 के उपनियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्रों की सूची कम से कम सात दिनों तक प्रकाशित कर आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करेगा। उक्त अवधि में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर सुनवाई कर अंतिम रूप से तैयार मतदान केन्द्रों की सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा एवं इस प्रकार अनुमोदित सूची को अंतिम रुप से प्रकाशित करेगा।

अध्याय–6

निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तंत्र

23. कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराया जाना–

राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं के निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

24. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किया जाना–

शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या अधिक उपसमाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगाः

परंतु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अपने अधिकारिता क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यो का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा।

25. निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति–

राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), नगरपालिका में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो उप समाहर्त्ता से अन्यून स्तर का हो।

26. सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति–

राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची पदाधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

27. सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति–

राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन के प्रेक्षण और आयोग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो के निष्पादन हेतु अलग–अलग सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक नियुक्त कर सकेगा जो राज्य सरकार के पदाधिकारी होगें। इस प्रकार से नियुक्त पदाधिकारी आयोग की अध्यपेक्षा पर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

28. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति–

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए, उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना आवश्यक समझे नियुक्त करेगा,

(2) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राधिकार, निगम, सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक है, को पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी के रुप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) जब मतदान पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो तो संबंधित पीठासीन पदाधिकारी, किसी अभ्यर्थी द्वारा योजित व्यक्ति से भिन्न ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, निर्वाचन हेतु मतदान

पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, और तदनुसार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगा।

(4) मतदान पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन, पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

29. अपरिहार्य कारण से पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों का पालन किया जाना–

यदि पीठासीन पदाधिकारी, रूग्णता या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो, तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

30. पीठासीन पदाधिकारी का कर्त्तव्य–

पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

31. मतदान पदाधिकारी का कर्त्तव्य–

मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करेगा।

32. कर्मियों को चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध कराना–

नियम 33 में निर्दिष्ट प्राधिकार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा अधियाचना करने पर, पर्याप्त संख्या में कार्मिक, जैसी आवश्यकता हो, निर्वाचन संबंधी दायित्वों **के** निर्वहन हेतु उपलब्ध कराएगा। एतद् द्वारा उपलब्ध पदाधिकारियों, कर्मचारियों को मतदान से संबंधित कार्य एवं निर्वाचन संबंधी सभी दायित्वों में शामिल समझा जाएगा।

33. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात्–

(क) सभी स्थानीय निकाय,

(ख) केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय,

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में (1956 का अधिनियम सं0–1) परिभाषित सरकारी कंपनी,

(घ) राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई संस्थान, संस्था या निकाय अथवा जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः रूप से वित्तपोषित हो।

अध्याय–7

निर्वाचन का संचालन

34- निर्वाचन की अधिसूचना –

(1) राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल निर्वाचन की तिथि या तिथियों को राज्य के राजकीय राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे यह अपेक्षा करेंगे कि अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अधीन मतदातागण शहरी स्थानीय निकायों के पदधारकों का निर्वाचन करें:

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह के पूर्व नहीं निकाली जा सकेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन के लिए उपनियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना में ऐसे कारणों से, जिन्हें वह पर्याप्त समझे, निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने हेतु संशोधन कर सकेगा और इस प्रकार से संशोधित की गई तिथि/ तिथियाँ उपनियम (1) के अधीन निश्चित की गई तिथि या तिथियाँ मानी जाएगी।

35. निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों को नियत किया जाना –

(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए विभिन्न प्रक्रमों हेतु तिथियाँ निर्धारित कर राज्य के राजकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा एवं इसमें निम्न प्रक्रमों को शामिल किया जा सकेगा –

(क) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में सूचना प्रकाशन की तिथि;

(ख) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तिथि, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तिथि के अगले दिन से सातवें दिन होगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(ग) नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत की गयी अंतिम तिथि से ठीक आगामी दिन होगा और यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(घ) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम, नाम निर्देशन की संवीक्षा की निर्धारित तिथि के ठीक आगामी दिन होगी या यदि

उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(ड.) वह तिथि और समय जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा, और

(च) मतगणना के लिए तिथि, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगा।

परन्तु यह कि आयोग जैसा आवश्यक समझे, इन प्रक्रमों के अतिरिक्त भी प्रक्रमों को शामिल कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन मतदान के लिए नियत तिथि से कम से कम बीस (20) दिन पूर्व किया जाएगा।

36. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों की सूचना का प्रकाशन–

आयोग द्वारा नियम 35 के अन्तर्गत अधिसूचित निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में प्रकाशित की जाएगीः

और यह कि उपरोक्त प्रपत्र 5 में सूचना आयोग द्वारा अधिसूचना में नियत तिथि को प्रकाशित की जाएगीः

और यह भी कि प्रपत्र 5 में सूचना की एक प्रति संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय में भी प्रकाशित की जाएगी।

37. अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाना –

(1) नियमावली के नियम 35 के उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी यथा विहित समय के भीतर तथा यथा निर्धारित स्थान पर निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी को सम्यक रूप से प्रपत्र–6 में भरा गया और अभ्यर्थी एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी दो मतदाता द्वारा **क्रमशः एक** प्रस्तावक एवं एक समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित नाम निर्देशन पत्र स्वयं **या** प्रस्तावक के माध्यम से प्रस्तुत करेगाः

परंतु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अधीन है, अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा,

(2) किसी स्थान की पूर्ति हेतु कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी के रुप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा यदि वह अधिनियम/ नियम के उपबंधों के अधीन उस स्थान पर निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित है एवं अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 26 के अधीन अयोग्य नहीं है,

(3) कोई अभ्यर्थी दो से अधिक प्रति में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा,

(4) निर्वाची पदाधिकारी प्रतिदिन नाम निर्देशन पत्रों को दाखिल करने के लिए निर्धारित समय की समाप्ति पर, उस तिथि को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूची प्रपत्र 7 में तैयार करेगा, और उसे अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और साथ ही ऐसी प्रकाशित सूची की एक प्रति उसी दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को प्राप्त कराएगा,

और यह कि निर्वाची पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्रों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को निर्वाचन क्षेत्रवार नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की समेकित सूची तैयार कर उसी दिन प्रपत्र 7 (क) में प्रकाशित करेगा और ऐसी प्रकाशित सूची की एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को प्राप्त कराएगा।

38. **नाम निर्देशन शुल्क–**

(1) किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिए सम्यक् रुपेण नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उसने–

(I) **महापौर/अध्यक्ष पद हेतु–**

(क) समान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5000/– (पाँच हजार रूपये)

(ख) महिला /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 2500/–(दो हजार पाँच सौ रूपये)

(II) **वार्ड सदस्य पद हेतु–**

(क) समान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 1000/– (एक हजार रूपये)

(ख) महिला /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500/–(पाँच सौ रूपये)

धनराशि नाम निर्देशन शुल्क के रुप में निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा न कर दी हो;

परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी किसी पद के लिए एक से अधिक प्रति में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो एक से अधिक नाम निर्देशन शुल्क जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

39. **शपथ पत्र–**

अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट शपथ पत्र प्रपत्र 24 में प्रस्तुत करेगा।

40. **झूठा शपथ–पत्र आदि दाखिल करने के लिए दण्ड–**

नियम 39 के अन्तर्गत दायर शपथ–पत्र गलत पाये जाने पर या नियम 37,39 के अन्तर्गत किसी सूचना के छुपाये जाने पर अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकेगा।

41. नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा–

(1) नियम 37 के अधीन प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्ति की तारीख एवं समय के अनुसार क्रमांकित कर वार्डवार संवीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक दिन यथासंभव समान संख्या में संवीक्षा की जायेगी, जिस हेतु सूचना नियम 37 में निर्धारित अंतिम तिथि को ही 5:00 बजे अपराहन् को ही प्रकाशित कर दी जायेगी।

(2) अभ्यर्थी स्वयं या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रस्तावक में से कोई एक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तिथि तथा समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकेगा ।

(3) निर्वाची पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित कारण से उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा, यदि

(क) अभ्यर्थी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के तहत किसी स्थान पर निर्वाचित किए जाने की अर्हता नहीं रखता हो;

(ख) प्रस्तावक या समर्थक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता नहीं रखता हो;

(ग) नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर उनका नहीं है;

(घ) अभ्यर्थी द्वारा ऐसे स्थान के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है;

(ड.) नियम 37,38 एवं 39 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दावा किया गया है परन्तु तत्संबंधित जाति प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।

(4) कोई नाम निर्देशन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो ।

(5) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने संबंधी अपना विनिश्चय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो संक्षेप में उसका कारण अंकित करेगा ।

(6) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए सुसंगत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने पर उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में उम्मीदवार होने के अधिकार के संबंध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जबतक अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में अन्यथा सिद्ध नहीं किया जाता है।

¼7½ नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं, की विधिमान्य नाम निर्दिष्ट सूची प्रपत्र–7(ख) में तैयार करेगा तथा उसे अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजेगा ।

42. अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना –

नियम 35 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन नियत तिथि तथा समय तक निर्वाची पदाधिकारी को अभ्यर्थी या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसका प्रस्तावक या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता प्रपत्र–8 में सूचना परिदत्त कर अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा। अभ्यर्थिता वापस लेने की नियत तिथि की समाप्ति पर निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र–8(क) वैसे अभ्यर्थियों की सूची अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा जिन्होंने अभ्यर्थिता वापस ले ली है।

43. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना –

(1) निर्वाची पदाधिकारी ऐसी कालावधि, जिसके भीतर नियम 42 के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकी हो, के समाप्त होने के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र– 9 में तैयार कर अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजेगा ।

(2) उप नियम (1) में प्रकाशित की गई सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार नाम पता सहित अंतर्विष्ट होगा ।

44. निर्वाचन प्रतीक –

जहॉ मतदान आवश्यक हो वहॉ निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को नियत तिथि, समय एवं पूर्व निर्धारित स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन निर्धारित प्रतीकों में से एक प्रतीक नियम–43 में उल्लिखित मान्य अभ्यर्थियों को आवंटित करेगा एवं प्रपत्र–9 में प्रकाशित करेगा।

अध्याय–8

अभ्यर्थी तथा उसका अभिकर्त्ता

45. निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति की प्रतिसंहरण या मृत्यु–

(1) यदि अभ्यर्थी अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करना चाहे, तो उप नियम (2) एवं (3) के उपबंधो के अध्यधीन प्रपत्र–10 में निर्वाची पदाधिकारी के अनुमोदन से ऐसी नियुक्ति कर सकेगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय अपनी हस्ताक्षरित लिखित घोषणा की प्रस्तुति कर प्रतिसंहरण किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रतिसंहरण अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अभ्यर्थी नया निर्वाचन अभिकर्त्ता निर्वाची पदाधिकारी के अनुमोदन से नियुक्त कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में जो कि निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित हो, नियुक्त नहीं किया जायेगा, जबतक कि निरर्हता बनी रहती है।

46. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति –

(1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय, जिसमें मतदान किया जाना हो, निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्त्ता के रुप में कार्य करने के लिए अधिकतम दो अभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसी नियुक्ति प्रपत्र–11 में, दो प्रतियों में, की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्ता को देगा जो उसे मतदान के लिए नियत तारीख को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन पदाधिकारी प्रस्तुत की गयी दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा।

(3) मतदान के समय में एक ही अभिकर्त्ता मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह सकेगा।

47. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु –

(1) मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी।

(2) ऐसी घोषणा पीठासीन पदाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) जहाँ किसी मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरित की गई हो या जहाँ मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाए वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय नियम 46 के उप–नियम (1) के अधीन नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।

48. मतदान का प्रत्यादिष्ट होना –

यदि नियम–43 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तब उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर, निर्वाची पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और उस तथ्य की सूचना आयोग को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से देगा । आयोग से निदेश प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रकिया नये सिरे से प्रारंभ की जाएगी ।

49. **निर्विरोध निर्वाचन –**

(1) यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापस लिए जाने के लिए नियत तिथि तथा समय के पश्चात केवल एक अभ्यर्थी ही शेष रहता है और उसका नाम निर्देशन पत्र वैध पाया जाता है, तो निर्वाची पदाधिकारी उस अभ्यर्थी को उस स्थान के लिए प्रपत्र–13 में सम्यकरूपेण निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को देगा ।

(2) यदि किसी स्थान के लिए नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया है या किसी भी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को सम्यकरूपेण स्वीकृत नहीं किया गया है या अभ्यर्थिता वापसी के क्रम में सभी अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है तो निर्वाची पदाधिकारी इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को भेजेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उस स्थान के लिए निर्वाचन के निमित्त आगे की कार्रवाई करेगा ।

49. **क सविरोध निर्वाचन –**

नियम 49 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में मतदान कराया जाएगा।

अध्याय–9

निर्वाचन की प्रक्रिया

जहाँ मतपत्र/मतपेटिकाओं का उपयोग किया जायेगा

50. मतदान की रीति –

मतदाता मतदान केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर मतपत्र द्वारा मतपेटिका में मतदान करेंगे। प्रतिपुरूष मतदान नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या शिथिलांग मतदाता जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, के साथ वाला व्यक्ति पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथा निर्देशित **रीति से** मतदान कर सकेगा ।

51. मतदान केन्द्र के निकट वर्जित क्षेत्र –

(1) कोई व्यक्ति मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र के परिसर या उसके 100 मीटर की दूरी तक स्थित सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नांकित कार्य नहीं करेगा –

(क) सभा करना;

(ख) मत के लिए आग्रह या याचना करना;

(ग) मतदान नहीं करने के लिए आग्रह या याचना करना;

(घ) किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन करना;

(ड़) शोर मचाना या कोई ऐसा उच्छृंखल कार्य करना जिससे मतदान केन्द्र में मतदाता या कर्तव्यस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को बाधा पहुँचे;

(च) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस–पास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किसी उपकरण का परिचालन जिससे मतदान में बाधा पहुँचे।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो स्थानीय अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को 1000/– (एक हजार रू0) का अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकेगा ।

52. मतपेटिका –

प्रत्येक मतपेटिका राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अध्यधीन रहते हुए ऐसे परिकल्प (डिजाईन) की होगी जिसमें मतपत्र/मत डाले तो जा सकेंगे किन्तु व्यवहृत पेपरसील को फाड़े बिना और मतपेटिका को खोले बिना उन्हें निकाला नही जा सके एवं मतों की गणना नहीं की जा सके।

53. मतपत्र –

(1) प्रत्येक मतपत्र में उसके साथ एक प्रतिपर्ण (Counterfoil) संलग्न होगा और मतपत्र ऐसे परिकल्प (डिजाईन) में तथा ऐसे विशिष्टियों के साथ होगा, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और उसका अभिलेख देवनागरी लिपि में अंकित होगा।

(2) मान्य अभ्यर्थियों की सूची के क्रम में ही अभ्यर्थियों का नाम उनके निर्वाचन प्रतीक के सामने मतपत्र में अंकित होगा।

(3) मतपत्र संख्यांकित होगा तथा मतपत्र के शीर्ष भाग पर निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या (वार्ड संख्या) एवं पदनाम अंकित रहेगा।

(4) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम की साम्यता हो तो ऐसी स्थिति में उनके नाम में उनके पिता का नाम या आजीविका या उनके आवासीय पता को जोड़कर विभेदित किया जाएगा ।

(5) मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण की पीठ पर मतदान केन्द्र का प्रभेदक चिन्ह लगाया जाएगा तथा मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर होगा ।

(6) मतपत्र के प्रतिपर्ण में निम्नांकित प्रविष्टियॉ रहेंगी –

(क) मतपत्र का क्रमांक

(ख) मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक

(ग) मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

54. मतदान केन्द्र पर सूचनाएँ –

प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनायें प्रदर्शित की जायेंगी :–

(क) निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या

(ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या

(ग) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची

(घ) नियम 43 एवं 44 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

55. मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटिकाओं को बंद करना तथा उन पर सील या मुहर लगाना –

(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों को या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को या उनके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, मतदान कार्य में लाई जानेवाली मतपेटिका का निरीक्षण करने देगा और उन्हें दिखाएगा कि वह खाली है ।

(2) तत्पश्चात् प्रयुक्त हो रही मतपेटिका पर भीतर और बाहर निम्नांकित सूचनायें मुद्रित लेबल पर अंकित कर चिपकाया जाएगा :–

(क) पद का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र की संख्या

(ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या

(ग) मतपेटिका का क्रमांक और

(घ) मतदान की तिथि

(3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी मतपेटिका पर अपना हस्ताक्षरित पेपर सील लगायेगा, जिस पर वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता (यदि वे चाहें) हस्ताक्षर कर सकेंगे। तत्पश्चात् मतपेटिका को मतदान कराने की स्थिति में लायेगा ।

(4) मतदान प्रारंभ होने के समय पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र–28 में घोषणा करेगा ।

56. मतदान केन्द्र की व्यवस्था –

मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक मतदान कोष्ठ की व्यवस्था की जाएगी जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर गुप्त रूप से अपना मत दे सकेंगे और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जबतक अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अंदर हो ।

57. मतदान केन्द्र में प्रवेश –

पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अंदर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और

(क) मतदान पदाधिकारियों,

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यस्थ लोक सेवकों,

(ग) आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों,

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक–एक मतदान अभिकर्ता,

(ड.) मतदाता के **साथ** गोद वाला शिशु

(च) दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या शिथिलांग मतदाता, जो सहायता बिना चल फिर नहीं सकता के साथ वाला व्यक्ति, और

(छ) निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित कर्मी एवं मतदाता, मतदान केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को मतदान केन्द्र में प्रवेश पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा रोक लगायी जायेगी।

58. महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं–

(1) जहाँ मतदान केन्द्र पुरूष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हो, वहाँ पीठासीन पदाधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनके मतदान केन्द्र में बारी–बारी से महिलाओं तथा पुरूषों की पृथक पृथक टोलियों में प्रवेश करने दिया जायेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए, और महिला मतदाताओं के बाबत मतदान लेने में साधारणतः पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः उस दशा में किसी महिला मतदाता की तलाशी में मदद करने के लिए जिसमें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिए ऐसी तलाशी आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा।

59. मतदाताओं की पहचान –

(1) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा ।

(2) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य प्रविष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य प्रविष्टियॉ पढ़कर सुनाएगा ।

(3) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार को विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में लेख या मुद्रण संबंधी किसी अशुद्धि को नजरअंदाज करेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह प्रविष्टि इस मतदाता से ही संबंधित है ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं की पहचान के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश जारी कर सकेगा।

60. मतदाता की पहचान पर अभ्याक्षेप –

(1) कोई अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की अनन्यता के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी को 50 (पचास) रू0 जमा कर अभ्याक्षेप कर सकेगा।

(2) ऐसी राशि जमा करने पर पीठासीन पदाधिकारी –

(क) अभ्याक्षेपित व्यक्ति छद्मधारी सिद्ध होने की स्थिति में दंडित किए जाने की चेतावनी देगा एवं चेतावनी से सचेत नहीं होने पर **नियम–131** के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

(ख) मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि को पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है, और

(ग) प्रपत्र–14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा तथा उसपर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान लेगा ।

(3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी अभ्याक्षेपित व्यक्ति एवं अभ्याक्षेपकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देगा एवं अन्य सुसंगत जांच का जो वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि अभ्याक्षेप सिद्ध हो सका या नहीं । तत्पश्चात् यथास्थिति वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने देगा या मतदान से वंचित करेगा ।

(4) ऐसा अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं होने पर उपनियम (1) के अधीन जमा राशि जब्त की जाएगी एवं सिद्ध हो जाने पर जमा राशि वापस कर दिया जायेगा।

61. मतपत्र निर्गत करना –

(1) मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से पूर्व मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जाएगा ।

(2) मतदान की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतदान बंद करने की घोषणा करेगा। मतदान बंद होने की घोषणा के पश्चात किसी भी मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जाएगा, परंतु मतदान बंद होने के नियत समय तक मतदान केन्द्र में मतदान हेतु उपस्थित रहने वाले मतदाताओं को नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतदान करने का अधिकार रहेगा और वे मतदान कर सकेंगे। इसके लिए पीठासीन पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से एक–एक पर्ची लाईन में लगे सभी मतदाताओं को दे देगा। उक्त पर्ची पर वह क्रमांक अंकित कर देगा तथा उसका रिकॉर्ड भी रखेगा कि कितने मतदाता लाईन में लगे है और वे सभी मतदाता मतदान कर सकेंगे।

(3) (क) प्रत्येक मतदाता जिसकी पहचान के संबंध में यथास्थिति पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी को समाधान हो गया हो, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी को अपनी बांयी तर्जनी देखने और उसपर अमिट स्याही से चिन्ह लगाने देगा;

(ख) यदि कोई मतदाता खण्ड (क) के अनुसार अपनी बांयी तर्जनी दिखाने या चिन्ह लगाने देने से मना करे अथवा उसकी बांयी तर्जनी पर पहले से ही वैसा चिन्ह लगा हो अथवा यह स्पष्ट हो जाये कि उसने ऐसे चिन्ह को मिटाने का प्रयास किया है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा और उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ग) इस नियम में मतदाता की बांयी तर्जनी के प्रति जो निर्देश दिया गया है वह उसे बायें हाथ की किसी दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश समझा जाएगा यदि बायीं तर्जनी न हो तो यह निदेश दाहिनें हाथ की तर्जनी या दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश समझा जाएगा तथा यदि दोनों हाथों की सभी अंगुलियॉ नहीं हो

तो उसको दाहिनी या बायीं भुजा का जो भी किनारा हो उसके प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(घ) मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकित करते हुए महिला मतदाता के नाम के बायीं ओर टिक (√) चिन्ह अंकित करेगा तथा मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उसपर मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा और उस मतदाता को उप नियम (3) के अनुसार यथास्थिति अमिट स्याही लगाएगा। तत्पश्चात् वह मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत कराएगा एवं मतदाता को मतपत्र देगा। मतपत्र प्राप्त होते ही मतदाता मतदान कोष्ठ में जाकर इस प्रयोजन के लिए रखे गए निदेशित मुहर को इच्छित अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने या उसके निर्वाचन प्रतीक पर लगाकर अपना मतदान करेगा। मतदाता मतपत्र को यथानिदेशित रीति से मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटिका में डालेगा। मतदाता मत डालने के बाद अविलम्ब मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा और यदि वह सभी या कोई मत डाले बिना मतदान केन्द्र से बाहर चला जाता है तो उसे पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ड.) किसी मतदाता को मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे का निशान न लगा दिया हो;

(च) उपयोग में लायी जाने वाली सीलबंद मतपेटी पूर्णतः मतपत्र से भर जाने के बाद ही दूसरी मतपेटी का उपयोग किया जाएगा।

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी विशिष्ट मतदाता को जारी किए गए मतपत्र का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा।

(5) यदि निर्वाचन एक से अधिक पदों के लिए कराया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पदाधिकारियों की संख्या में यथावश्यक कमी करने के साथ–साथ आवश्यक निदेश भी निर्गत किया जा सकेगा।

62. दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों का अभिलेख –

यदि दृष्टिहीनता, शारीरिक रूप से अक्षम या अन्य शारीरिक शैथिल्य के कारण कोई मतदाता मतपत्र में अंकित प्रतीक को पढ़ने में असमर्थ हो या अपना मतपत्र मतपेटी में डालने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उसका सहायक, जो 18 (अठारह) वर्ष की आयु से कम नहीं होगा, ऐसे मतदाता के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा, ऐसे मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर यथानिदेशित मुहर अंकित करेगा तथा उसे मोड़कर मतपेटिका में डालेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति ऐसे एक मतदाता का ही सहायक बन सकेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक विषय का अभिलेख प्रपत्र–15 में रखेगा

63. खराब/रद्द हुए और लौटाए गए मतपत्र तथा मतपेटिका के बाहर पाए गए मतपत्र–

(1) उस मतपत्र को जो किसी मतदाता की भूल के कारण खराब हो गया हो एवं उपयोग के लायक नहीं रह गया हो, उसे पीठासीन पदाधिकारी को लौटा दिए जाने पर पीठासीन पदाधिकारी उस मतपत्र के पीठ पर ''खराब/रद्द किया गया'' अंकित करेगा ।

(2) यदि कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात उसे उपयोग में नहीं लाने का विनिश्चय करता है तब उसे वह पीठासीन पदाधिकारी को लौटा देगा और उस लौटाए गए मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी ''लौटाया गया, रद्द किया गया'' अंकित करेगा ।

(3) यदि कोई मतदाता प्राप्त किए गए मतपत्र को मतपेटिका में नहीं डाले और मतपत्र मतदान केन्द्र या निकट किसी स्थान पर पाया जाय तो मतपत्र उप–नियम (2) के अधीन पीठासीन पदाधिकारी को लौटा दिया गया समझा जाएगा और उसके संबंध में उप–नियम (2) के इंगित कार्रवाई की जाएगी।

(4) विभिन्न पदों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे मतपत्र, जो उप नियम (1) (2) एवं (3) के अधीन रद्द किए गए हो, प्रत्येक पद के लिए पृथक पैकेट में रखें जाएंगे।

64. निविदत मत –

(1) यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी का ऐसा समाधान हो जाने पर वह व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे दिया गया ऐसा मतपत्र निविदत मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) निविदत मतपत्र मतपेटिका में नहीं डाला जाएगा, परंतु इस पर संबंधित मतदाता द्वारा अपना मत चिन्हित कर इसे पीठासीन पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो उसे एक अलग पैकेट में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर ऐसे समस्त निविदत मतपत्रों की यह पैकेट सीलबंद कर दी जाऐगी ।

(3) निविदत मतों की सूची प्रपत्र–16 में तैयार की जाएगी तथा मतपत्र निविदत करने वाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा ।

(4) निविदित मतपत्र पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों के बंडल के अंतिम क्रमांक से मतदाता को दिया जायेगा।

65. मतदान के पश्चात मतपेटिकाओं को सीलबंद किया जाना –

(1) मतदान की समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मतपेटिका के छिद्र को बन्द कर मतपेटी को सीलबंद कर देगा। साथ ही उस पर किसी उपस्थित अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता को (जो भी चाहे) अपनी सील लगाने देगा।

इसके साथ ही पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र–29 में सभी उपस्थित अभ्यर्थी/ मतदान अभिकर्त्ता से हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा।

(2) जहॉ एक मतपेटिका के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटिका को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाय तब प्रथम मतपेटिका उप नियम(1) में उल्लिखित रीति से बंद एवं सीलबंद कर दी जाएगी ।

66. मतपत्र एवं पेपरसील का लेखा –

मतदान के समाप्त होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र–17 में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र–18 में पेपरसील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक पत्रावरण में रखेगा और उसके उपर मतपत्र लेखा/ पेपरसील लेखा अंकित करेगा ।

67. अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर सीलबंद किया जाना –

(1) पीठासीन पदाधिकारी –

(क) मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियॉ

(ख) उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र

(ग) रद्द किए गए मतपत्र

(घ) निविदत मतपत्रों का लिफाफा और सूची

(ड़) अभ्याक्षेपित मतों की सूची और

(च) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यथा निदेशित बंद एवं सीलबंद किए जाने वाले अन्य अभिलेख, एवं सामग्रियॉं यथा प्रभेदक चिन्ह, मोहर/ सील इत्यादि पीठासीन पदाधिकारी का अभिमत या दैनंदिनी का पृथक–पृथक पैकेट तैयार करेगा और उन्हें बंद एवं सीलबंद करेगा ।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक पैकैट पर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को यदि वह चाहे अपनी–अपनी सील लगाने देगा ।

68. संबंधित मतपेटिकाओं, पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण –

(1) पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को

(क) मतपेटिकायें

(ख) मतपत्र लेखा एवं पेपर सील,

(ग) नियम 67 में निर्दिष्ट पैकेट,

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य अभिलेख एवं अन्य सामग्रियॉं निर्दिष्ट स्थल में जमा करेगा ।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उपनियम (1) में अंकित वस्तुओं को मतों की गणना प्रारंभ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा । मतगणना की समाप्ति के पश्चात नियम–113 के अधीन निर्वाचन संबंधी अभिलेखन की अभिरक्षा की जाएगी।

69. **बज्रगृह–**

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किसी सुरक्षित स्थान पर अवस्थित सरकारी भवन या परिसर में बज्रगृह स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा, जिस पर आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उक्त भवन/परिसर को बज्रगृह के रूप में चिन्हित कर दिया जायेगा। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात सभी पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त मतपेटिका सहित अन्य सामग्रियों को पूर्व निर्धारित बज्रगृह में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना की तिथि तक सुरक्षित रखा जायेगा।

70. मतदान अवधि के मध्य मतदान का स्थगन –

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के समय कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित कर सकेगा तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः मतदान करा सकेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदान स्थगन का विवरण अपनी दैनन्दनी में अंकित करेगा ।

71. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन –

(1) यदि मतदान केन्द्र पर मतदान के समय हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट किए जाने या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकेगा और वह तत्क्षण कारण सहित उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देगा ।

(2) उप नियम– (1) के अध्यधीन मतदान स्थगित होने पर उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलंब देगा ।

(3) आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को –

(क) उस मतदान केन्द्र में पुनः आगे मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तिथि एवं समय नियत करेगा, अथवा

(ख) उस मतदान को रद्द घोषित करेगा एवं उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के लिए तिथि और समय नियत करेगा तथा ऐसा मतदान कराने का आदेश देगा।

अध्याय–10
निर्वाचन की प्रक्रिया

जहाँ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए वहाँ अध्याय 9 के स्थान पर अध्याय 10 के नियम लागू होंगे

72. मतदान की रीति –

(1) प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान कराया जाना है, वहाँ उपबंधित रीति से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा मत दिये जायेंगे। इलेक्ट्रोनिक

वोटिंग मशीन दो भागों में विभक्त होगी जिसमें एक नियंत्रण ईकाई दूसरी मतदान ईकाई होगी या ऐसे प्रारूप एवं डिजाईन में होगी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग स्वीकृत करेगा। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के मतदान ईकाई में प्रयुक्त की गई भाषा देवनागरीय लिपि में होगी।

(2) प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर ई0वी0एम0 द्वारा अपना मतदान करेंगे। प्रतिपुरुष मतदान नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि दृष्टिहीन, शारीरिक रुप से अक्षम या शिथिलांग मतदाता जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता के साथ वाला व्यक्ति पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यथानिर्देशित रीति से मतदान कर सकेगा।

73. मतदान केन्द्र के निकट वर्जित क्षेत्र –

(1) कोई व्यक्ति मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर की दूरी तक स्थित सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नांकित कार्य नहीं करेगा –

(क) सभा करना,

(ख) मत के लिए आग्रह या याचना करना,

(ग) मतदान नहीं करने के लिए आग्रह या याचना करना,

(घ) किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन करना,

(ड़) शोर मचाना या कोई ऐसा उच्छृंखल कार्य करना जिससे मतदान केन्द्र में मतदाता या कर्तव्यस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को बाधा पहुॅचे,

(च) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस–पास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किसी उपकरण का परिचालन जिससे मतदान में बाधा पहुॅचे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो स्थानीय अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को 1000/– (एक हजार रू0) का अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकेगा ।

74. मतदान केन्द्र पर सूचनायें –

प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनायें प्रदर्शित की जायेंगी :–

(क) निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या –

(ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या –

(ग) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची –

(घ) **नियम** – 43 एवं 44 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।

75. मतदान के लिए ई0वी0एम0 का प्रयोग–

(1) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए यथा आवश्यक वोटिंग मशीन, मतदाता सूची एवं अन्य सुसंगत कागजात एवं सामग्री प्रदान करेगा, जिससे मतदान का सफलता पूर्वक संचालन हो सके।

(2) वोटिंग मशीन की नियन्त्रण इकाई एवं मतदान इकाई के उपर मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या, क्रम संख्या एवं निर्वाचन/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं इकाई की क्रम संख्या एवं मतदान की तिथि अंकित किया जाएगा।

(3) पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन अभिकर्ता को या उनके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, मतदान कार्य में लाई जानेवाली ई0वी0एम0 का निरीक्षण करने देगा और उन्हें दिखाएगा कि उसमें शून्य मत दर्ज है। तत्पश्चात् वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता के समक्ष MOCK POLL कराकर सभी को आश्वस्त करायेगा की ई0वी0एम0 ठीक ढंग से कार्य कर रहा है।

(4) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी ई0वी0एम0 पर अपना हस्ताक्षरित पेपर सील, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता यदि वे चाहें **तो** हस्ताक्षर कर सकेंगे, लगाएगा तथा ई0वी0एम0 को मतदान कराने की स्थिति में लायेगा ।

(5) मतदान प्रारंभ होने के समय पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र–28 में घोषणा करेगा ।

(6) मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से पहले किसी मतदाता को मत नही देने दिया जाएगा।

(7) प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम के बायीं ओर टिक (√) चिन्ह् अंकित करेगा। प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाता पंजी में ऐसे मतदाता का नाम, क्रमांक के सामने मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। और उस मतदाता के बायीं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। उसके पश्चात् उस मतदाता को नगर निकाय के महापौर / अध्यक्ष के निर्वाचन कि निमित्त मतदान करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

(8) द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की दूसरी चिन्हित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में नाम के नीचे रेखांकित करने के अतिरिक्त नाम के बायीं ओर टिक (√) चिन्ह् अंकित करेगा। तत्पश्चात् उस मतदाता को मतदाता पंजी में उसे मतदाता का नाम, क्रमांक के सामने मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। उसके पश्चात् उस मतदाता को नगर निकाय के वार्ड पार्षद के निर्वाचन के निमित्त मतदान करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

76. मतदान केन्द्र की व्यवस्था –

मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक मतदान कोष्ठ की व्यवस्था की जाएगी जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर गुप्त रूप से अपना **मत** दे सकेंगे और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जबतक अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अंदर हो ।

77. मतदान केन्द्र में प्रवेश –

पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अंदर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और

(क) मतदान पदाधिकारियों,

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यस्थ लोक सेवकों,

(ग) आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों,

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक–एक मतदान अभिकर्ता,

(ड.) मतदाता के **साथ** गोद वाला शिशु ,

(च) दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या शिथिलांग मतदाता, जो सहायता बिना चल फिर नहीं सकता के साथ वाला व्यक्ति, और

(छ) निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित कर्मी एवं मतदाता, मतदान केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को मतदान केन्द्र में प्रवेश पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा रोक लगायी जायेगी।

78. महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं–

(1) जहाँ मतदान केन्द्र पुरूष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हो, वहाँ पीठासीन पदाधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनके मतदान केन्द्र में बारी–बारी से महिलाओं तथा पुरूषों की पृथक पृथक टोलियों में प्रवेश करने दिया जायेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए, और महिला मतदाताओं के बाबत मतदान लेने में साधारणतः पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः उस दशा में किसी महिला मतदाता की तलाशी में मदद करने के लिए जिसमें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिए ऐसी तलाशी आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा।

79. मतदाताओं की पहचान –

(1) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा ।

(2) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य प्रविष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य प्रविष्टियॉ पढ़कर सुनाएगा ।

(3) मतदाता को मत देने के अधिकार को विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में लेख या मुद्रण संबंधी किसी अशुद्धि को नजरअंदाज करेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह प्रविष्टि इस मतदाता से ही संबंधित है ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं को पहचान के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश जारी कर सकेगा।

79. (क) प्रतिरुपण के विरुद्ध उपाय –

(1) प्रत्येक मतदाता, जिसके पहचान के बारे में यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी का समाधान हो गया हो, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी को अपनी बायीं तर्जनी देखने और उस पर अमिट स्याही से नाखून के मूल में यथासंभव निकटतम स्थान पर चिन्ह् इस प्रकार लगाने देगा कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर भी फैल सके।

(2) यदि कोई मतदाता उप नियम (1) के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी दिखाने या चिन्ह् लगाने देने से इन्कार करे अथवा उसकी बायीं तर्जनी पर पहले से वैसा ही चिन्ह् लगा हो अथवा यह स्पष्ट हो जाए कि उसने ऐसे चिन्ह् को मिटाने का प्रयास किया है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस नियम में मतदाता की बायीं तर्जनी के प्रति जो निर्देश दिया गया है वह उसे बांये हाथ की किसी दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश समझा जाएगा, यदि उसकी बायीं तर्जनी न हो, यदि उसके बायें हाथ में कोई अंगुली न हो तो यह निर्देश दाहिने हाथ की तर्जनी या दूसरे अंगुली के प्रति निर्देश समझा जाएगा तथा यदि दोनों हाथों की सभी अंगुलियाँ गायब हो तो उसके दाहिने या बायीं भुजा का जो भी छोर हो उसके प्रति निर्देश समझा जाएगा।

79. (ख) मतदाता द्वारा मतदान में व्यवधान –

जहाँ पीठासीन पदाधिकारी को समाधान हो जाता है कि कोई मतदाता वोटिंग मशीन की मतदान इकाई में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो पीठासीन पदाधिकारी वहाँ उस स्थल पर जहाँ की मतदान इकाई है उपस्थित हो सकेगा।

79. (ग) मतदाता द्वारा मतदान से इन्कार –

जहाँ कोई मतदाता मतदान की सारी अपेक्षा को पूरा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह मतदान नहीं करेगा वहाँ पीठासीन पदाधिकारी मतदाता सूची में उस स्थान पर रिमार्क कर देगा, जहाँ उसका नाम अंकित किया गया है एवं उसके पश्चात् पुनः उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अगुँठा का निशान लेगा।

80. मतदाता की पहचान पर अभ्याक्षेप –

(1) कोई अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की अनन्यता के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी को 50 (पचास) रू0 जमा कर अभ्याक्षेप कर सकेगा।

(2) ऐसी राशि जमा करने पर पीठासीन पदाधिकारी –

(क) अभ्याक्षेपित व्यक्ति छद्मधारी सिद्ध होने की स्थिति में दंडित किए जाने की चेतावनी देगा एवं चेतावनी से सचेत नहीं होने पर **नियम–131** के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

(ख) मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि को पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है, और

(ग) प्रपत्र–14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा तथा उसपर उसका हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लेगा ।

(3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी अभ्याक्षेपित व्यक्ति एवं अभ्याक्षेपकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देगा एवं अन्य सुसंगत जांच का जो वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि अभ्याक्षेप सिद्ध हो सका या नहीं । तत्पश्चात् यथास्थिति वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने देगा या मतदान से वंचित करेगा ।

(4) ऐसा अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं होने पर उप नियम (1) के अधीन जमा राशि जब्त की जाएगी ।

81. दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों का अभिलेख –

यदि दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या अन्य शारीरिक शैथिल्य के कारण कोई मतदाता ई0वी0एम0 में अंकित प्रतीक को पढ़ने में असमर्थ हो या अपना मत डालने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उसका सहायक, जो अठारह वर्ष की आयु से अन्यून होगा, ऐसे मतदाता के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा, ऐसे मतदाता की इच्छानुसार ई0वी0एम0 में अंकित चिन्ह के बटन को दबायेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति ऐसे एक मतदाता का ही सहायक बनेगा । पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अभिलेख प्रपत्र–15 में रखेगा।

82. निविदत मत –

(1) यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा व्यक्ति के पहचान से संतुष्ट होने के बाद बैलेटिंग यूनिट से मत देने के स्थान पर एक निविदत मतपत्र उपलब्ध करायेगा, जिसका परिकल्प एवं विशिष्टियाँ ऐसी होगी जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) ऐसा प्रत्येक मतदाता प्रपत्र 16 में अपना नाम लिखने के पश्चात निविदत्त मतपत्र पा सकेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त होने परः–

(क) मतदाता वोटिंग स्थान पर जायेगा तथा मतपत्र पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करेगा;

(ख) मतदाता मतपत्र को मोड़ कर पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा;

(ग) पीठासीन पदाधिकारी उस निविदत्त मतपत्र को उसके लिए चिन्हित लिफाफे में डालकर सीलबंद करेगा।

(4) यदि मतदाता दृष्टिहीन, विकलांग या शिथिलांग हो तथा ऐसे मतदाता द्वारा निविदत्त मत की मांग की जाये, तो पीठासीन पदाधिकारी संतुष्ट होने के पश्चात उसे नियम 77 (च) के अनुरूप एक सहायक की अनुमति प्रदान करेगा एवं उपरोक्त विधि के द्वारा मतदान की अनुमति देगा।

(5) निविदत्त मतपत्र का परिकल्प या विषिष्टियाँ ऐसी होगी जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(6) निविदत्त मतों की सूची प्रपत्र 16 में तैयार की जायेगी तथा मतपत्र निविदत्त करनेवाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत्त मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्ट के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(7) निविदत्त मतपत्र, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों के अन्तिम क्रमांक से मतदाता को दिया जायेगा।

83. मतदान के पश्चात ई0वी0एम0 को सीलबंद किया जाना –

(1) मतदान की निर्धारित समय सीमा समाप्ति पर पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतदान बंद करने की घोषणा करेगा। परंतु ऐसी घोषणा के समय मतदान केन्द्र में मतदान हेतु उपस्थित मतदाताओं को नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतदान करने दिया जायेगा। इसके लिए वह अपने हस्ताक्षर से एक–एक पर्ची लाईन में लगे सभी मतदाताओं को दे देगा। उक्त पर्ची पर वह क्रमांक अंकित कर देगा तथा उसका रिकॉर्ड भी रखेगा कि कितने मतदाता लाईन में लगे है।

(2) उप नियम (1) के अधीन रहते हुए जब मतदान के समापन की घोषणा (प्रपत्र–29 में) कर दी जाती है तब पीठासीन पदाधिकारी ई0वी0एम0 के नियंत्रण ईकाई को बंद करते हुए मतदान ईकाई से अलग कर देगा ताकि इसके पश्चात मतदान सम्भव न हो सके। तत्पश्चात् ई0वी0एम0 के मतदान ईकाई एवं नियंत्रण ईकाई को सभी उपस्थित अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्त्ताओं के समक्ष इस प्रकार अलग–अलग सील किया जायेगा की बिना सील तोडे उसे खोला न जा सके। अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता अपना सील यदि चाहें तो लगा सकते हैं।

84. मतों एवं पेपरसील का लेखा –

मतदान के समाप्त होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र–17 (क) में मतों का लेखा एवं पेपरसील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पत्रावरण में रखेगा और उसके ऊपर मत लेखा एवं पेपरसील लेखा अंकित करेगा ।

85. अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर सीलबंद किया जाना –

(1) पीठासीन पदाधिकारी –

(क) मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियॉ

(ख) मतदाता पंजी जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हो

(ग) निविदत मतपत्रों का लिफाफा और सूची

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची और

(ड.) रद्द मतपत्रों का लिफाफा

(च) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यथा निदेशित बंद एवं सीलबंद किए जाने वाले अन्य अभिलेख एवं सामग्रियाँ यथा प्रभेदक चिन्ह, मोहर, सील इत्यादि, पीठासीन पदाधिकारी का अभिमत या दैनंदिनी का पृथक–पृथक पैकेट तैयार करेगा और उन्हें बंद एवं सीलबंद करेगा ।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक पैकैट पर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को यदि वह चाहे अपनी–अपनी सील लगाने देगा ।

86. संबंधित ई0वी0एम0 एवं अन्य पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण –

(1) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को

(क) ई0वी0एम0,

(ख) नियम 85 में निर्दिष्ट मुहर एवं पैकेट,

(ग) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य अभिलेख निर्दिष्ट स्थल में जमा करेगा ।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उपनियम (1) में अंकित वस्तुओं को मतों की गणना प्रारंभ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा । मतगणना की समाप्ति के पश्चात नियम–113 के अधीन निर्वाचन संबंधी अभिलेखन की अभिरक्षा की जाएगी।

87. ई0वी0एम0 पर कब्जा–

यदि पीठासीन पदाधिकारी को यह समाधान होता है कि मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लिया गया है तो वह तत्काल ई0वी0एम0 के नियंत्री ईकाई को बंद कर देगा ताकि कोई मत अभिलेखित नहीं किया जा सके एवं मतदान ईकाई को नियंत्री ईकाई से अलग कर देगा।

88. मतदान अवधि के मध्य मतदान का स्थगन –

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के समय कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित कर सकेगा तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः मतदान करा सकेगा । पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदान स्थगन का विवरण अपनी डायरी में अंकित करेगा ।

89. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन –

(1) यदि मतदान केन्द्र पर मतदान के समय हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट किए जाने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकेगा और वह तत्क्षण कारण सहित उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देगा।

(2) उप नियम– (1) के अधीन मतदान स्थगित होने पर उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को अविलंब देगा।

(3) आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को –

(क) उस मतदान केन्द्र में पुनः आगे मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तिथि एवं समय नियत करेगा, अथवा

(ख) उस मतदान को रद्द घोषित करेगा एवं उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के लिए तिथि और समय नियत करेगा तथा ऐसा मतदान कराने का आदेश देगा।

90. राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने से संबंधित आवश्यक निर्देश निर्गत कर सकेगा।

91. बज्रगृह–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किसी सुरक्षित स्थान पर अवस्थित सरकारी भवन में बज्रगृह स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उक्त भवन/परिसर को बज्रगृह के रूप में चिन्हित कर दिया जायेगा। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात सभी पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त ई0वी0एम0/मतपेटिका सहित अन्य सामग्रियों को पूर्व निर्धारित बज्रगृह में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना की तिथि तक सुरक्षित रखा जायेगा।

अध्याय–11
मतो की गणना

92. मतगणना हेतु स्थान का चयन –

मतगणना हेतु स्थान का चयन आयोग के निदेशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किया जाएगा। मतों की गणना हेतु तिथि, समय तथा स्थान के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को प्रपत्र–37 में सूचना दी जाएगी।

93. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति –

(1) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के दिन एवं समय में अपने लिए एक गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र–12 में दो प्रतियों में कर सकेगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दोनों प्रतियॉ गणन अभिकर्ता को देगा । जिसमें से एक वह अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा तथा वह पदाधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा ।

94. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु–

(1) गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति, मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी तथा ऐसी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी को, जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत की जायेगी।

(2) मतगणना पूरा होने के पूर्व यदि अभ्यर्थी के गणन अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाए तब अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता **नियम–93** के उप–नियम 1 के अधीन नए गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकेगा।

95. मतों की गणना का पर्यवेक्षण–

मतों की गणना आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में की जायेगी।

96. मतगणना के लिए नियत किये गये स्थल में प्रवेश –

(1) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, मतगणना के लिए नियत स्थान में निम्नांकित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देगाः–

(क) ऐसे व्यक्तियों को जिसे वह मतगणना में सहायता के लिए नियुक्त किया गया हो,

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक और

(घ) अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ताओं/ गणन अभिकत्ता।

उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मतगणना स्थल पर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

(2) मतगणना पटल पर मतपेटिका/ ई0वी0एम0 खोले जाने के पूर्व वहॉ उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को मतपेटिका/ ई0वी0एम0 पर किये गये सील की अक्षुण्णता के सत्यापन हेतु मतपेटिका/ ई0वी0एम0 का निरीक्षण करने दिया जाएगा ।

(3) यदि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतपेटिका/ ई0वी0एम0 में गड़बड़ी की गयी है, तब उस मतपेटिका/ ई0वी0एम0 के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

(क) उक्त मतपेटिका/ ई0वी0एम0 के मतपत्रों/मतों की गणना नहीं की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त खंड (क) के संबंध में तत्काल सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलंब दी जाएगी।

(4) उप नियम (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को यथोचित निदेश देगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

97. मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित करना –

(1) मतपेटिका में अंतर्विष्ट किसी मतपत्र के उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि–

(क) उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) उस पर प्रमेदक चिन्ह या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या

(ड़) मतपत्र चिन्हित नहीं किया गया है, या

(च) एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह लगाया गया है, या

(छ) उसपर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिन्ह लगाया गया हैः

परंतु यह कि निर्वाची पदाधिकारी को समाधान हो जाने पर कि खंड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खंड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगाः

परंतु यह और भी कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किए गए चिन्ह का विस्तार मतपत्र की दो पंक्तियों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसकी पंक्ति में चिन्ह का अधिक भाग पड़ता हो, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा।

2. निर्वाची पदाधिकारी किसी मतपत्र को उपनियम (1)के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अभिकर्ता को जो उपस्थित हो, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा।

3. निर्वाची पदाधिकारी प्रतिक्षेपित मतपत्र पर शब्द ''प्रतिक्षेपित'' अंकित करेगा या मुहर अंकित करेगा।

4. प्रतिक्षेपित मतपत्रों को एक साथ रखा जाएगा।

5. इलेक्ट्रानिक वोटिंग यंत्रों के माध्यम से किए गए मतदान को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रीति से यथास्थिति प्रतिक्षेपित किया जा सकेगा।

98. मतगणना –

(1) निविदत मतपत्रों तथा प्रतिक्षेपित मतपत्रों को छोड़कर प्रत्येक मतपत्र की गणना की जाएगी।

(2) मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों को प्रपत्र–19 में अंकित करेगा।

(3) तत्पश्चात् विधि मान्य मतपत्रों को बंडल **में** बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ पृथक पैकेट में बंद एवं सीलबंद किया जाएगा जिसपर निम्नांकित विशिष्टियॉ अभिलेखित की जाएगी, यथा,

(क) निर्वाचन क्षेत्र की संख्या

(ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक जिसके मतपत्र हो, और

(ग) मतगणना की तिथि।

(4) मतगणना यथासाध्य अंतिम परिणाम प्राप्त होने तक लगातार की जायेगी । यदि मतगणना निलंबित करनी पड़े तब मतपत्र और अन्य अभिलेख सील बंद कर सुरक्षित

रखे जायेंगे। उपस्थित अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता इच्छानुसार उनपर अपनी सील अंकित कर सकेंगे।

99. **ई0वी0एम0 के द्वारा हुए मतों की गणना**–

(1) निर्वाची पदाधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात कि वोटिंग मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ी नही की गई है, वह कंट्रोल यूनिट में लगे "**रिजल्ट**" चिन्हित उपयुक्त बटन को दबाकर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे।

(2) जैसे ही कंट्रोल यूनिट पर हरेक अभ्यर्थी को दिए गए मतों का संप्रदर्शन हो, निर्वाची पदाधिकारी

(क) रिकार्ड किए गए मतों की लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग–अलग रिकार्ड करवाएगा।

(ख) रिकार्ड किए गए मतों की लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक से तथा उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणना अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर कराएगाय और

(ग) अंतिम परिणाम पत्र में की गई संगत प्रविष्टियों और अंतिम परिणाम पत्र में इस प्रकार प्रविष्ट विशिष्टियों की घोषणा कराएगा।

100. प्रत्यादिष्ट/स्थगित मतदान के लिए मतगणना –

(1) नियम 48 के अधीन प्रत्यादिष्ट एवं नियम 70 के अधीन स्थगित हुए मतदान के संबंध में निर्वाचन के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मतगणना हेतु तिथि समय और स्थान नियत करेगा तथा उसकी सूचना अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देगा।

(2) ऐसी मतगणना का परिणाम नियम 98 के उप नियम (2) के अधीन यथा स्थिति निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाएगा।

101. पुनर्मतगणना –

(1) अभ्यर्थी या उनकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों को पुनर्गणना के लिए उसके आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेगा। **ऐसा आवेदन मतगणना समाप्ति के तुरन्त बाद किया जा सकेगा।**

(2) ऐसे आवेदन को निर्वाची पदाधिकारी युक्तियुक्त अभिलिखित **कारण** सहित पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) यदि निर्वाची पदाधिकारी आवेदन को उपनियम (2) के अधीन पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत करता है, तो यह मतपत्रों की पुनर्गणना कराएगा तथा नियम 98 के उपनियम (2) में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त मतों की विवरणी को यथास्थिति संशोधित करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पुनर्गणना के पश्चात कोई आवेदन पुनर्गणना हेतु नहीं प्राप्त करेगा ।

102. मतों का बराबर होना –

मतों की गणना पूरी होने के पश्चात दो या अधिक अभ्यर्थियों को अधिकतम बराबर मत प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी निम्नांकित रीति से विनिश्चय करेगा–

(1) अधिकतम बराबर मत प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम की समरूप पर्ची बनाकर उनके बीच किसी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा लॉट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलेगा उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जाएगा, जो अधिकतम विधिमान्य मत होगा। इस आधार पर अधिकतम विधिमान्य मत प्राप्त अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विजयी घोषित किया जायेगा।

(2) उक्त कंडिका (1) में वर्णित रीति के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलिखित करेगा तथा उसपर सभी संबंधित पक्षों से हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। कार्यवाही संबंधी उक्त अभिलेख को नियम–113 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत निर्वाचन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेगा।

103. निर्वाचन परिणाम की घोषणा –

(1) निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र– 20 में अभ्यर्थीवार विधिमान्य मतों की संख्या अंकित कर अधिकतम विधिमान्य मत प्राप्त अभ्यर्थी को उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित घोषित करेगा और उसी प्रपत्र में उसे प्रमाणित करेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र– 21 में अभ्यर्थीवार विधिमान्य मतों का संख्या अंकित कर अधिकतम विधिमान्य मत प्राप्त अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए महापौर/अध्यक्ष को निर्वाचित घोषित करेगा और उसी प्रपत्र में उसे प्रमाणित करेगा।

(3) प्रपत्र–20 एवं प्रपत्र–21 की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को तथा उसके माध्यम से एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, रांची को भेजी जाएगी।

104. निर्वाचन प्रमाण पत्र –

निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को, जो निर्वाचित हुआ है, प्रपत्र– **22** में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा।

105. निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– जिला दण्डाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र– 23 में जिला गजट में प्रकाशित कराएगा तथा उसकी एक–एक प्रति आयोग एवं नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजेगा ।

अध्याय– 12

नगरपालिकाओं के उपमहापौर/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन

106. अधिनियम की धारा 28 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में प्रत्येक **शहरी स्थानीय निकाय** के निर्वाचित पार्षद परिषद की बैठक में अपने में से एक पार्षद को यथास्थिति उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचित करेंगे।

107. **निर्वाचन के लिए कार्यक्रम एवं बैठक–**

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– जिला दण्डाधिकारी अपने जिला में प्रत्येक **शहरी स्थानीय निकाय** में उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा एवं तदनुसार निर्वाचित पार्षदों की एक बैठक बुलाएगा।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत बैठक हेतु जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्वाचित पार्षदों को बैठक के स्थान, तिथि, समय एवं विषय की सूचना निर्धारित तिथि से कम से कम सात पूरे दिन पहले प्रपत्र–38 में दी जाएगी।

परन्तु यह कि उक्त बैठक निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर बुलाई जाएगी उक्त बैठक में सर्वप्रथम निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी जिसके पश्चात उप महापौर/ उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी।

और यह भी कि **शहरी स्थानीय निकाय** के कार्यकाल की गणना हेतु उक्त बैठक हेतु निर्धारित तिथि ही संबंधित **शहरी स्थानीय निकाय** के प्रथम बैठक की तिथि मानी जाएगी।

108. **पीठासीन पदाधिकारी –**

उपमहापौर/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने के उद्देष्य से अधिनियम की धारा– 28 के अधीन बैठक की अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी करेगा, जो जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता या उससे अन्यून स्तर का पदाधिकारी होगा, किन्तु बैठक में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

109. **उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के पद के लिए अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन**–

निर्वाची पदाधिकारी विनिर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अभ्यर्थियों से उपमहापौर/ उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करेगा। निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित करने का इच्छुक कोई पार्षद प्रपत्र–39 में नाम निर्देशन पत्र समर्पित करेगा, जिसमें प्रस्तावक के रुप में उसका अपना हस्ताक्षर तथा समर्थक के रुप में एक और पार्षद का हस्ताक्षर एवं निर्वाचन हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थी का नाम उसकी सहमति सहित सम्मिलित होना आवश्यक होगा। अगर किसी नाम निर्देशन पत्र में एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक एवं अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं हो तब निर्वाची पदाधिकारी इसे अविधिमान्य घोषित कर देगा।

110. **सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों की स्थिति में प्रक्रिया–**

(1) यदि केवल एक ही विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होता है, तो इस तरह नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी सम्यक् रुप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को विधिमान्य रुप से नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो निर्वाची पदाधिकारी पार्षदों को निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार मतपत्र द्वारा मत देने हेतु अनुमति देगा–

(क)¼i½ निर्वाची पदाधिकारी मत देने हेतु अर्हित एवं बैठक में उपस्थित प्रत्येक पार्षद को प्रपत्र–40 में एक मतपत्र, जिसमें विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम रहेंगे, वितरण करेगा अथवा करवाएगा।

¼ii½मत देने हेतु इच्छुक पार्षद जिस अभ्यर्थी को वह मत देना चाहता है उसके नाम के सामने क्रास ¼X½ चिन्ह लगाएगा, किन्तु मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा अथवा कोई अन्य निशान नहीं लगाएगा, एवं इस उद्देश्य हेतु रखी गई मतपेटी में मतपत्र को डाल देगा।

(ख) तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए मतों की गणना करेगा तथा बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सम्यक रुप से निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर दो अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तब उन दोनों के बीच निर्वाची पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

विहित रीति से लॉट निकाली जाएगी, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले, उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मान कर कार्रवाई की जाएगी।

(3) परिणाम प्रपत्र–41 में तैयार किया जाएगा एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा।

(4) परिणामों की घोषणा के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रपत्र 42 में निर्वाचन प्रमाण–पत्र देगा।

111-नगरपालिका में किसी रिक्ति को भरने की प्रक्रिया–

नगरपालिका में उपमहापौर/ उपाध्यक्ष की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन में नियम 106 से 110 तक में वर्णित प्रक्रिया लागू होगी।

अध्याय–13

गलत साक्ष्य पाये जाने पर सदस्यता वापस लिया जाना

112. निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकेगा–

(1) यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, जो यथास्थिति उस जाति या वर्ग का सदस्य या महिला नहीं है या गलत प्रमाण–पत्र या मिथ्या साक्ष्य को आधार बनवाकर ऐसे स्थान के लिए निर्वाचित हो जाता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना के आधार पर जिसे वह जानता है कि गलत है या जिसे गलत मानने का कारण है, या अपने शपथ पत्र या नामांकन पत्र में यथा स्थिति जो सूचना अपेक्षित हो जानबूझ कर छुपा कर निर्वाचित हो जाता है।

(3) यदि राज्य निर्वाचन आयोग जाँचोपरान्त इस अभिमत पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामलों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी मंशा से, जो अपराध की श्रेणी में आता हो, कार्य किया गया है तो आयोग ऐसे व्यक्ति या पदाधिकारी के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज करने हेतु सम्बंधित जिला दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा–18 (2) के आलोक में निर्देश दे सकेगा।

(4) कंडिका (3) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे मामलों की सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त रहेगी तथा आयोग द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–5, 1908 के प्रावधानों के अनुरूप सुनवाई की जायेगी। सुनवाई के क्रम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान लागू होंगे

अध्याय–14

निर्वाचन संबंधी अभिलेखो की अभिरक्षा

113. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 66, 67, 84, 85 एवं 102 (2) में निर्दिष्ट पैकेटों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

114. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण –

अभिरक्षण में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अधिनियम में विहित न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा ।

115. निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का विनष्टीकरण –

निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालवधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालवधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् यदि आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा इसके संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश/निर्देश नहीं दिया गया हो, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

अध्याय–15

(निर्वाचन याचिका)

116. निर्वाचन याचिका –

अधिनियम की धारा 580 में विहित न्यायालय के समक्ष किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के विरूद्ध निर्वाचन याचिका, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस दिनों के अंदर प्रस्तुत की जा सकेगी ।

117. याचिका शुल्क –

(1) शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड पार्षद/ सदस्य के प्रसंग में निर्वाचन याचिका के लिए 2000/– (दो हजार रूपये) का शुल्क देय होगा ।

(2) शहरी स्थानीय निकायों के महापौर/ अध्यक्ष एवं उपमहापौर/उपाध्यक्ष के प्रसंग में निर्वाचन याचिका के लिए 4000/– (चार हजार रूपये) शुल्क देय होगा ।

118. याचिका की सामग्री –

निर्वाचन याचिका–

(क) ऐसे तथ्यों का संक्षिप्त कथन, जिस पर याची विश्वास करता हो, अंतर्विष्ट करेगी,

(ख) ऐसे भ्रष्ट आचरण का पूर्ण विवरण, जो याची आरोपित करता है, जिसमें यथासंभव भ्रष्ट आचरण के लिए आरोपित पक्षों के नाम तथा ऐसे आचरण का स्थान एवं तिथि का समावेश हो, घोषित करेगी,

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0–5 1908) में याचिकाओं के सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित की जायेगीः

परन्तु यह कि जब याची किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता हो, याचिका के साथ लगाये ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उनके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र याचिका के साथ लगेगी,

(घ) याचिका की कोई अनुसूची या संलग्नक याचिका की तरह ही हस्ताक्षरित और सत्यापित की जायेगी।

119. निर्वाचन याचिका की सुनवाई –

सक्षम न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित रीति से याचिका की सुनवाई करेगा तथा अधिनियम की धारा 580 से 589 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

120. निर्वाचन याचिका की वापसी–

निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी ।

परंतु यह कि निर्वाचन याचिका में एक से अधिक वादी हों तो, सर्वसम्मति के बिना याचिका वापस नहीं ली जा सकेगी ।

121. निर्वाचन याचिका की सुनवाई में साक्ष्य –

निर्वाचन याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू होंगे ।

122. निर्वाचन के संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना –

अधिनियम की धारा–580 के तहत निर्धारित विहित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त इस संबंध में अधिनियम की धारा–584 एवं 585 के तहत यथोचित निर्णय लिया जा सके।

अध्याय–16

अन्यान्य

123. भ्रष्टाचार या कदाचार –

भ्रष्टाचार या कदाचार के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48/1951) की धारा– 123 के प्रावधान लागू होंगे ।

124. निर्वाचन हेतु वाहन/परिसर का अधिग्रहण और वापसी –

(1) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–160 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन (नगरपालिका) के प्रयोजनार्थ किसी वाहन या परिसर का लिखित आदेश से अधिग्रहण कर सकेगा।

परंतु यह कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को अनुमान्य वाहनों जिसकी संख्या आयोग द्वारा निश्चित की गयी हो, का अधिग्रहण नहीं करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा– 167 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकेगा।

(3) यदि उप नियम (1) के अधीन अधिगृहित कोई वाहन/परिसर का अधिग्रहण से विमुक्त किया जाता हो तो उसे उस व्यक्ति को जिससे वाहन/परिसर अधिगृहित किया गया था उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को वापस किया जा सकेगा।

125. क्षतिपूर्ति भुगतान –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा नियम 124 के अधीन अधिगृहित वाहन या परिसर की क्षतिपूर्ति का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा

126. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए वर्जित कार्य–

(1) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी ऐसे किसी नियम या निदेश के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य नही करेगा जो किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में हो अथवा उसे किसी प्रकार से प्रभावित करे ।

(2) निर्वाचन की प्रक्रिया से संबद्ध कोई भी सरकारी सेवक मतदान संबंधी सभी बातों एवं अभिलेखों को गोपनीय रखेगा एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को उससे अवगत नहीं कराएगा जबतक ऐसा किया जाना आयोग अथवा सक्षम पदाधिकारी के निर्देश के अन्तर्गत नहीं हो।

127. मतदान की तिथि के संदर्भ में प्रचार का निषेध–

निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति न तो कोई सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न कहीं आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।

128. आयोग द्वारा निर्देश निर्गत किया जाना–

आयोग इस नियमावली के प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में अवरोधों को दूर करने के निमित्त विधिसम्मत आवश्यक अनुदेश/**निर्देश** निर्गत कर सकेगा ।

129. निर्वाचन या उसके अन्तर्गत किसी प्रकिया को प्रत्यादिष्ट करना–

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर या नगरपालिका निर्वाचन के अनियमितताओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर या किसी अन्य स्रोतों से सभी अनियमितताओं की जानकारी पर, यह समाधान हो जाए, तो आयोग को समुचित कार्रवाई करने का विवेकाधिकार होगा, और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन की किसी प्रकिया को स्थगित करना शामिल होगा।

130. आकस्मिक रिक्ति–

यदि शहरी स्थानीय निकायों में किसी पदधारक का स्थान किसी कारण से रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है तब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) आयोग को सूचित करेगा तथा आयोग रिक्ति को भरने के लिए अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

131. अभ्याक्षेपित व्यक्ति के लिए दण्ड–

नियम 60 (2) (क) एवं 80 (2) (क) के अधीन यदि अभ्याक्षेपित व्यक्ति छद्मधारी सिद्ध हो जाए तब स्थानीय अधिकारिता रखने वाले दण्डाधिकारी द्वारा उसे 1000/– (एक हजार रू0) का अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकेगा ।

132. व्यावृति–

झारखण्ड राज्य नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2006 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्व में की गई कार्रवाई झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धारा के आलोक में अविधिमान्य नहीं समझे जायेंगे मानो उक्त नियमावली उक्त तिथि को प्रवृत था जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

133. कठिनाई दूर करने हेतु व्यवस्था–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अध्यधीन इस नियमावली के प्रयोजनार्थ शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य में अचानक उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के निमित्त राज्य निर्वाचन आयोग विधिसम्मत निर्देश निर्गत कर सकेगा।

अनुसूची

उदाहरण – (1)

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन एवं आरक्षण के अवधारण की प्रकिया

(नियम – 3 एवं 5 देखिये)

उदाहरणस्वरूप, किसी नगर परिषद की जनसंख्या 58430 है, नियम 3 के प्रावधानानुसार यथासंभव निकटतम क्रमशः 58430 की जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 23 होगी। नियमानुसार इन 23 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का संख्यांकन नगर परिषद वर्ग 'ख' के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ कर दक्षिण पूर्व तक किया जायेगा जैसा कि उदाहरण स्वरुप नीचे दर्शाया गया है।

(नियम 3(3) देखें)

उत्तर

पश्चिम

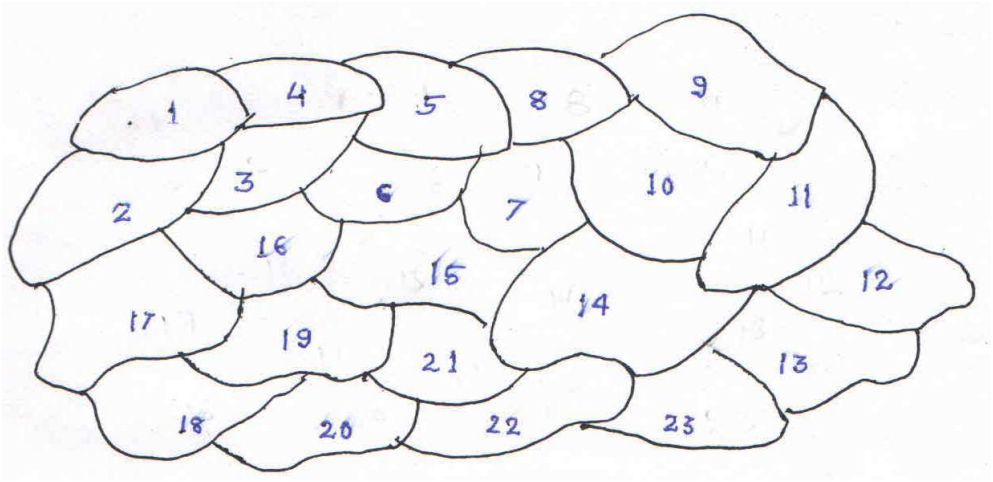

पूरब

दक्षिण

2. अब नगर परिषद वर्ग 'ख' की कुल जनसंख्या को ही उदाहरण मान कर चलें तब उक्त नगर परिषद वर्ग 'ख' (कल्पित नाम धनराजनगर) की कुल जनसंख्या में से नियम 5(क) के अनुसार प्रत्येक कोटि की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उसका अनुपात (प्रतिशत) अवधारित किया जायेगा, यथा –

(क)	नगर परिषद धनराज नगर की कुल जनसंख्या	–	58430
(ख)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	–	5316
(ग)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रतिशत	–	9.09 प्रतिशत
(घ)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	–	8211

(ड.) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 14.05 प्रतिशत

(च) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या – 33215

(छ) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 56.84 प्रतिशत

(ज) अन्य कोटि की जनसंख्या – 11688

(झ) अन्य कोटि की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 20 प्रतिशत

3. अब जनसंख्या के अनुपात यथा प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक कोटि के लिए अनुमान्य स्थानों, स्थान की कुल संख्या निर्धारित की जायेगी, यथा :–

(क) अनुसूचित जाति के लिए 23 पद का 9.09 प्रतिशत = 2.09 पद

(ख) अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पद का 14.05 प्रतिशत = 3.23 पद

(ग) पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद का 56.84 प्रतिशत = 13.07 पद

पिछड़ा वर्ग को आवंटन हेतु वास्तविक पदों की सं0 = 6 पद

(घ) अन्य के लिए 23 पद का 20 प्रतिशत = 4.6 पद

प्रपत्र–2
(नियम 5 देखिये)

आरक्षण, कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र–आवंटन पंजी

भाग–एक

शहरी स्थानीय निकाय –**धनराज नगर**

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद

राज्य शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या *नगर निगम *नगर परिषद वर्ग 'क' *नगर परिषद वर्ग 'ख' *नगर पंचायत					*नगर निगम – महापौर/वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'क' – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'ख' – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद *नगर पंचायत – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद				के लिए
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए कुल पद/स्थान	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद/स्थान	पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद/स्थान	अन्य के लिए कुल पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5316	**8211**	**33215**	**11688**	**58430**	**23**	**2**	**3**	**6**	**12**

2.(क) राज्य/नगर निगम/नगर पर्षद (क)+नगर पर्षद (ख)/
नगर पंचायत की कुल जनसंख्या :– 58430

(ख) अनुसूचित जाति की जनसंख्या :– 5316

(ग) अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत :– 9.09%

(घ) अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या :– 8211

(ड.) अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या का प्रतिशत :– 14.05%

(च) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या :– 33215

(छ) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत :– 56.84%

(ज) अन्य कोटि की जनसंख्या :– 11688

(झ) अन्य कोटि की जनसंख्या का प्रतिशत :– 20.0%

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

3.(क) अनुसूचित जाति के लिए पदों/स्थानों की संख्या – 2

23 का 9.09%= 2.09

(ख) अनुसूचित जन जाति के लिए पदों/स्थानों की संख्या– 3

23 का 14.05%= 3.23

(ग)(i) पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुसार पदों/स्थानों की संख्या– 13

(ii) पिछड़ा वर्ग को आवंटन हेतु वास्तविक पदो/स्थानों का स्थान– 6

(घ) अन्य के लिए पदों/स्थानों की संख्या– 12

भाग–दो
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1		416	982	613	470	2481
2		159	89	1584	721	2553
3		138	112	1642	606	2498
4		115	203	1482	812	2612
5		95	402	1383	532	2412
6		208	111	1715	415	2449
7		167	1120	714	502	2503
8		340	98	1733	237	2408
9		135	215	1690	418	2458
10		268	413	1512	405	2598
11		312	58	1806	466	2642
12		602	13	1752	231	2598
13		212	141	1542	738	2633
14		310	1430	650	58	2448
15		121	213	1842	439	2615
16		230	298	1552	435	2515
17		215	191	1532	685	2623

18		**211**	**58**	**1612**	**717**	**2598**
19		**281**	**756**	**942**	**446**	**2425**
20		**198**	**230**	**1411**	**741**	**2580**
21		**81**	**438**	**1489**	**622**	**2630**
22		**210**	**415**	**1215**	**687**	**2527**
23		**292**	**225**	**1802**	**305**	**2624**
	Total	**5316**	**8211**	**33215**	**11688**	**58430**

4. चूँकि अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानानुसार स्थानों के आरक्षण के अधिसीमा 50 प्रतिशत परन्तु इससे अनधिक है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के बाद 50 प्रतिशत का शेष पिछड़ा वर्ग को देय है तथा नियम–7 के अनुसार गणना के निमित आधे एवं आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा तथा आधे से अधिक भाग को एक माना जायेगा, इसलिए उपर कंडिका 3 में किए गये निर्धारण के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 02, अनुसूचित जनजाति के लिए 03, पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत स्थान (11) का शेष यानि 06 एवं अन्य के लिए 12 स्थान अनुमान्य होंगे ।

5. इस प्रक्रिया के बाद नियम 5 के अनतर्गत आरक्षित पदों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या आवंटित किया जायेगा। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक कोटि की जनसंख्या प्राप्त की जायेगी और प्रपत्र 2 के भाग–तीन के कॉलम 1 से 9 के अनुसार कोटिवार जनसंख्या की अवरोही क्रम में श्रॅंखला तैयार की जोयगी जैसा नीचे दर्शाया गया है :–

भाग–तीन								
क्रमांक	**अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या**	**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या**	**अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या**	**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या**	**अवरोही क्रम में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या**	**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या**	**अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या**	**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	602	12	1430	14	1842	15	812	4
2	416	1	1120	7	1806	11	741	20
3	340	8	982	1	1802	23	738	13
4	312	11	756	19	1752	12	721	2
5	310	14	438	21	1733	8	717	18

6	292	23	415	22	1715	6	687	22
7	281	19	413	10	1690	9	685	17
8	268	10	402	5	1642	3	622	21
9	230	16	298	16	1612	18	606	3
10	215	17	230	20	1584	2	532	5
11	212	13	225	23	1552	16	502	7
12	211	18	215	9	1542	13	470	1
13	210	22	213	15	1532	17	466	11
14	208	6	203	4	1512	10	446	19
15	198	20	191	17	1489	21	439	15
16	167	7	141	13	1482	4	435	16
17	159	2	112	3	1411	20	418	9
18	138	3	111	6	1383	5	415	6
19	135	9	98	8	1215	22	405	10
20	121	15	89	2	942	19	305	23
21	115	4	58	11	714	7	237	8
22	95	5	58	18	650	14	231	12
23	81	21	13	12	613	1	58	14
कुल	**5316**		**8211**		**33215**		**11688**	

6. तत्पश्चात् नियम 5 के अधीन प्रथम आम निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के क्रमानुसार उन कोटियों को अनुमान्य में से एक एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जायेंगे तथा शेष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम की पुनरावृति की जायेगी। द्वितीय आम निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति का क्रम अपनाया जायेगा। तृतीय आम निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का क्रम अपना जायेगा तथा चतुर्थ आम निर्वाचन में अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का क्रम अपनाया जायेगा। उदाहरण आगे विवरणी –'क' में दिया गया है।

7. किसी कोटि को उपर निर्धारित क्रम में अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा परन्तु यदि वह क्षेत्र दूसरे कोटि को पूर्व में उसी आधार पर आवंटित है तब

अवरोही क्रम में दूसरा, तीसरा आदि अधिकतम जनसंख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा। उदाहरण उपर भाग–तीन में दिया गया है।

8.(**क**) प्रत्येक कोटि के लिए स्थानों की संख्या निर्धारण के आधार पर अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र चिन्हित करने के बाद प्रत्येक कोटि के लिये पचास प्रतिशत परंतु उससे अनधिक क्षेत्र उस कोटि की महिलाओं के लिये आरक्षित कर आवंटित किये जायेंगे। जिस कोटि के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान अनुमान्य नहीं है, उस कोटि की महिला के लिए ऐसा आवंटन नहीं किया जायेगा। जिस कोटि के लिए 2 स्थान अनुमान्य है उस कोटि की महिला के लिये एक स्थान आवंटित होगा परन्तु यदि किसी कोटि के लिये एक ही स्थान अनुमान्य हो तो वह स्थान उस कोटि की महिला के लिये आरक्षित नहीं होगा और अनुवर्त्ती आम चुनाव में भी महिला के लिये आरक्षित नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम की धारा 16(2) में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% से अनधिक रखना है।

(**ख**) प्रत्येक कोटि के लिये आरक्षित किये गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उपर कंडिका 6 में वर्णित क्रमों में पहले आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सर्वप्रथम उस कोटि की महिला के लिये आवंटित होगा और अनुवर्त्ती आम चुनाव में प्रत्येक दूसरा क्षेत्र, अनुमान्यता के आधार पर, महिला के लिये आवंटित होगा।

9.(**क**) इस उदाहरण को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है –

(i) प्रथम आम चुनाव मे महिलाओं को आवंटित स्थान 1,3,5,7,9,11.....

(ii) द्वितीय आम चुनाव में महिलाओं को आवंटित स्थान 2,4,6,8,10.....

उदाहरण विवरणी 'क' में दिया गया है।

विवरणी – 'क' (प्रपत्र–2 के आंकड़ा पर आधारित)								
अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		निर्वाचन
महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	
12	1	14	7 19	15 23 6	11 8 9	4 17 13 3 18 16	20 21 2 5 22 10	प्रथम आम निर्वाचन
1	12	7	14 19	11 8 9	15 23 6	20 21 2 5 22 10	4 17 13 3 18 16	द्वितीय आम निर्वाचन
12	1	14	7 19	15 23 6	11 8 9	4 17 13 3 18 16	20 21 2 5 22 10	तृतीय आम निर्वाचन
1	12	7	14 19	11 8 9	15 23 6	20 21 2 5 22 10	4 17 13 3 18 16	चतुर्थ आम निर्वाचन

10. यह उदाहरण तीनों श्रेणियों की नगरपालिकाओं के पार्षदों के स्थानों के लिए मार्गदर्शन के रुप में लागू मानी जाएगी। इन श्रेणियों के अन्तर्गत नगर परिषद (क एवं ख) एक ही श्रेणी में माने जाएंगे।

****

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रारुप
अंतिम

प्रपत्र–1
(नियम 4 देखिये)

निर्वाचन क्षेत्रों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला–
शहरी स्थानीय निकाय–
निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–

कमांक	**निर्वाचन क्षेत्र/**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/**नाम**	जनसंख्या	**निर्वाचन क्षेत्र/** प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
1	2	3	4

स्थान– ..... तिथि– .....

जिला दण्डाधिकारी

(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

टिप्पणी– स्तंभ 4 में :–
निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विस्तार के लिए मोहल्ला का नाम/ किसी निर्देश सूचक **चिन्ह** (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए) भरा जाएगा।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–2
(नियम 5,6 देखिये)

आरक्षण, कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र–आवंटन पंजी

भाग–एक
शहरी स्थानीय निकाय –
कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद

राज्य **शहरीस्थानीय निकाय** **की जनसंख्या** *नगर निगम *नगर परिषद वर्ग 'क' *नगर परिषद वर्ग 'ख' *नगर पंचायत					*नगर निगम – महापौर/वार्ड पार्षद ***नगर परिषद वर्ग 'क' – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद** *नगर परिषद वर्ग 'ख' – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद के लिए *नगर पंचायत – अध्यक्ष/वार्ड पार्षद				
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए कुल पद/स्थान	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद/स्थान	पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद/स्थान	अन्य के लिए कुल पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.(क) राज्य/नगर निगम/नगर पर्षद (क)+नगर पर्षद (ख)/ नगर पंचायत की कुल जनसंख्या :–
(ख) अनुसूचित जाति की जनसंख्या :–
(ग) अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिषत :–
(घ) अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या :– 8211
(ड.) अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या का प्रतिषत :–
(च) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या :–
(छ) पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिषत :–
(ज) अन्य जाति की जनसंख्या :–
(झ) अन्य जाति की जनसंख्या का प्रतिषत :–

3.(क) अनुसूचित जाति के लिए पदों/स्थानों की संख्या –
(ख) अनुसूचित जन जाति के लिए पदों/स्थानों की संख्या–
(ग)(i) पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुसार पदों/स्थानों की संख्या–
(ii) पिछड़ा वर्ग को आवंटन हेतु वास्तविक पदो/स्थानों का स्थान–
(घ) अन्य के लिए पदों/स्थानों की संख्या–

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

भाग–दो

निर्वाचन क्षेत्र / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

कमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

भाग–तीन

निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या– अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
	I		II		III		IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

भाग–चार

आरक्षित / अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी।

कमांक	*निर्वाचन क्षेत्र संख्या *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अन्य	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–3
(नियम 9 देखिये)

आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला –
नगरपालिका –
शहरी स्थानीय निकाय –

*निर्वाचन क्षेत्र का महापौर/अध्यक्ष

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पार्षद/सदस्य

क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4

*जो लागू नहीं हो काट दें ।

जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

टिप्पणी– (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तंभ–3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारक्षित'' शब्द का उल्लेख किया जाय।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तंभ–4 में ''महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाए। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ''अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाए।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरीस्थानीय निकाय

प्रपत्र–4
(नियम 13 देखिये)

मतदाता सूची

जिला..... शहरी स्थानीय निकाय .....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

भाग संख्या .....

क्रमांक	विधानसभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक	गृह संख्या	मतदाता का नाम	पिता/माता/पति का नाम	पुरुष/महिला	आयु	मतदाता का फोटो एवं ईपिक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–5
(नियम 36 देखिये)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी **(नगरपालिका) –**

निर्वाचन की सूचना

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं .....जिला निर्वाचन पदाधिकारी **(नगरपालिका)** जिला ..... इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ–(2) में विनिर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय के ***महापौर/*अध्यक्ष/*वार्ड पार्षदों/ सदस्यों** के निर्वाचन के स्तंभ मे एतद् द्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि .....

(क) अनुसूची के स्तंभ–(4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ–(7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी नगरपालिका (शहरी स्थानीय निकाय) ..... के लिए ***महापौर/*अध्यक्ष/*वार्ड पार्षदों/ सदस्यों** के निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा ।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, तिथि और समय होगा ।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (9) में विनिर्दिष्ट, स्थान, तिथि और समय नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा करने का स्थान, तिथि और समय होगा ।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का स्थान, तिथि और समय होगा ।

(ड़) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (11) में विनिर्दिष्ट तिथि और समय मतदान की तिथि और समय होगा ।

(च) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट तिथि और समय मतों की गणना करने की तिथि और समय होगा ।

(छ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा ।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से,

स्थान–

तिथि– जिला निर्वाचन पदाधिकारी **(नगरपालिका)**
–सह– जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

***जो लागू नहीं हो काट दें ।**

1. टिप्पणी– यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तंभ (12) में अंकित तिथि और स्तंभ (13) में अंकित स्थान पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना संबंधी कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।
2. **टिप्पणी–महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु वार्ड पार्षद/ सदस्य के स्थान पर तदनुसार प्रविष्टि की जाएगी।**

अनुसूची

अनुक्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम *नगर निगम *नगर परिषद वर्ग 'क' *नगर परिषद वर्ग 'ख' *नगर पंचायत	पद	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	आरक्षित/अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/अन्य	निर्वाची पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, तिथि और समय	नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा करने का स्थान, तिथि और समय	नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का स्थान, तिथि और समय	वह तिथि तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने की तिथि और समय	मतों की गणना का स्थान
8	9	10	11	12	13

*** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

स्थान–
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेष से,
तिथि–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह– जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

टिप्पणी–(1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तंभ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाय **यथा** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब अनारक्षित का उल्लेख किया जाय।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तंभ 6 में ''महिला'' षब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ''अन्य'' षब्द का उल्लेख किया जाये।

(3) यदि स्तंभ 8 में तिथि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम तिथि से अंतिम तिथि तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तिथि के अगले दिन से सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र – 6
(नियम 37 देखिये)

नाम निर्देशन–पत्र

जिला..... शहरीस्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से ..... वार्ड पार्षद / सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से ..... महापौर / अध्यक्ष के लिये निर्वाचन।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता / करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता / माता / पति का नाम .....

डाक पता..... जिला.....जो नगरपालिका .....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... की मतदाता सूची में क्रमांक .....भाग संख्या..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो जिला .....नगरपालिका .....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में क्रमांक ..... भाग संख्या..... पर प्रविष्ट है।

प्रस्तावक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थान .....

तारीख .....

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट के प्रस्ताव का समर्थन करता / करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता / माता / पति का नाम .....

डाक पता..... जिला.....

जो नगरपालिका ..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....की मतदाता सूची में क्रमांक .....भाग संख्या..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .....है जो जिला .....नगरपालिका .....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में क्रमांक .....भाग संख्या..... पर प्रविष्ट है।

समर्थक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थान .....

तारीख .....

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता / देती हूँ और एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि:–

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता / माता / पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

(ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिये अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।

(घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता / करती हूँ तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान.....

तारीख..... .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानह

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन–पत्र का क्रमांक.....
यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में तारीख..... को.....(बजे) अभ्यर्थी/ प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ....
निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन–पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 37.के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ –

तारीख .....
समय ....
निर्वाची पदाधिकारी का
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

(छिद्रण)

नाम निर्देशन पत्र के लिये रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक.....

श्री/सुश्री/श्रीमती .....का, जो*.....के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन पत्र मुझे तारीख .....को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त किया गया। सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख.....को ..... (बजे) स्थान..... ..... में की जायेगी।

तारीख .....
समय ....
निर्वाची पदाधिकारी का
(नाम, हस्ताक्षर वं मुहर)

---

* इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–7
(नियम–37 (4) देखिये)

नाम निर्देशन की आम सूचना

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

सर्वसाधारण को जानकारी के लिए यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित निर्वाचन के लिए निम्नलिखित नाम निर्देशन पत्र आज दिनांक..... को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त हुए हैं –

क्रम संख्या	नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी की कोटि पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनारक्षित	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक	समर्थक का नाम	मतदाता सूची में समर्थक का क्रमांक	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान– .....
तिथि– .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–7(क)
(नियम–37(4) देखिए)

नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की समेकित सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी की कोटि पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनारक्षित	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक	समर्थक का नाम	मतदाता सूची में समर्थक का क्रमांक	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान– .....
तिथि– .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–7(ख)
(नियम–41(7) देखिए)

विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5	6

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान– .....

तिथि– .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–8
(नियम 42 देखिये)

अभ्यर्थिता वापस ली जाने की सूचना

जिला –

शहरी स्थानीय निकाय –

***निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से *महापौर/*अध्यक्ष**

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–..... **से वार्ड पार्षद/ सदस्य**

निर्वाची पदाधिकारी,

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पति .....जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ ।

स्थान– विधिमान्य रूप से नाम

तिथि – निर्दिष्ट अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें। अंगूठे का निशान

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में ..... तिथि को ..... बजे अभ्यर्थी / अभ्यर्थी के प्रस्तावक द्वारा परिदत्त की गई ।

तिथि – **निर्वाची पदाधिकारी**

(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

छिद्रण

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिए जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो ..... के लिए निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हैं, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी/ अभ्यर्थी के प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई ।

तिथि – **निर्वाची पदाधिकारी**
(नाम,हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–8(क)
(नियम–42 देखिये)
अभ्यर्थिताएँ वापस लिए जाने की सूचना

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधि मान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/ अभ्यर्थिताएँ आज दिनांक.....को वापस ले ली हैं –

क्रम संख्या	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी का पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान– .....

तिथि– .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–9
(नियम–43 एवं 44 देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित निर्वाचन प्रतीक
1	2	3	4	5

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान– .....

तिथि– .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नोटः– अभ्यर्थियों की सूची देवनागरी वर्णानुक्रम में अंकित की जाएगी।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–10
(नियम 45 देखिये)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मैं (अभ्यर्थी का नाम) ..... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ तथा श्री/श्रीमती/सुश्री..... .....(निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता) को आज की तिथि से एतद्द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ एवं उनका हस्ताक्षर/ अंगुठे का निषान अभिप्रमाणित करता/ करती हूँ।

स्थान –
दिनांक –

निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगुठे का निषान

अभिप्रमाणित

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ ।

स्थान –
दिनांक –

निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित
स्थान –
दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–11
(नियम 46 देखिये)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मैं (अभ्यर्थी का नाम) ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ।

मैं (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ..... जो श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ एतद द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती .....पता .... को मतदान केन्द्र संख्या.....स्थान.....पर मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ एवं उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

स्थान ....

तारीख ..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिस पर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष इसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करुँगा/ करुँगी।।

स्थान ....

तारीख ..... मतदान अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

.....
पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–12
(नियम 93 देखिये)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मैं (अभ्यर्थी का नाम)..... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ।

मैं (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम)..... ,जो श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ।

एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती .....पता .... को मतगणना के दौरान .....स्थान .....पर गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ एवं उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

स्थान ....

तारीख ..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्त्ता की घोषणा जिस पर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष इसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान ....

तारीख ..... गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।
निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–13
(नियम 49 देखिये)

निर्विरोध निर्वाचन

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 49 के अध्यधीन मैं घोषणा करता हूँ कि –
श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पता..... जो उपर्युक्त **निर्वाचन क्षेत्र/** प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ***महापौर/ *अध्यक्ष/ *वार्ड पार्षद/ सदस्य** पद के लिए अभ्यर्थी थे/थी, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये/गई है ।

स्थान –
दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का नाम
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।**

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–14
(नियम 60 एवं 80 देखिये)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम.....

स्थान –

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जिसकी मतदाता सूची है।	जिस व्यक्ति के विरूद्ध अभ्याक्षेपित किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	जिस व्यक्ति के विरूद्ध अभ्याक्षेपित किया गया है उस व्यक्ति का पता
1	2	3	4	5	6

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	राशि जमा करने पर अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश
7	8	9	10

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

स्थान –
दिनांक –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–15
(नियम 62 एवं 81 देखिये)

दृष्टिहीन/विकलांग/शिथिलांग मतदाताओं की सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम–

स्थान –

कमांक	मतदाता सूची का कमांक	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

स्थान –
दिनांक –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–16
(नियम 64 एवं 82 देखिये)

निविदत मतों की सूची

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम–

स्थान –

कमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में कमांक	उस निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या जिसकी मतदाता सूची है।	निविदत मतपत्र का कमांक	मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

स्थान –
दिनांक –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–17
(नियम 66 देखिये)

मतपत्र लेखा

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम –

स्थान –

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त **मतपत्रों** की संख्या	..... से	
2. उपयोग में नहीं लाये गये **मतपत्रों** की संख्या		
3. उपयोग में लाये गये **मतपत्रों** की संख्या (1 – 2 = 3)	..... से	
4. उपयोग में लाये गये किंतु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र– (क) रद्द किए गये मतपत्रों की संख्या (ख) निविदत मतपत्रों की संख्या (ग) मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या– योग– (क + ख+ग)		
5. मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या– (3 – 4 = 5)		

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

स्थान –
दिनांक –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र– 17(क)
(नियम 84 देखिये)

रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम ----------

मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए वोटिंग मषीन की पहचान संख्या ----------

मतदान यूनिट संख्या----------

नियंत्रण यूनिट संख्या----------

1- मतदान केन्द्र पर निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या ----------
2- मतदाता पंजी में प्रविश्ट मतदाताओं की कुल संख्या ----------
3- मत रिकार्ड न करने का विनिष्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या .....
4. मत देने से निषिद्ध मतदाताओं की संख्या .....
5. वोटिंग मषीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या .....
6. क्या कंडिका 5 में मतों की जो संख्या अंकित है वह कंडिका 2 के मतों से कंडिका 3 एवं कंडिका 4 के मतों को घटाने से (2–3–4) मेल खाता है या कोई त्रुटि परिलक्षित होता है?.....
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत्त मतपत्र निर्गत किए गए.....
8. निविदत्त मत पत्रों की कुल संख्या ..... क्रम संख्या ..... से ..... तक
   (क) उपयोग में लाए जाने हेतु प्राप्त मतपत्रों की संख्या (1) क्रम संख्या .....से ..... तक
   (ख) मतदाताओं को निर्गत मतपत्रों की संख्या (2) क्रम संख्या .....से .....तक
   (ग) उपयोग में नहीं लाए गए तथा वापस लौटाए गए मतपत्रों की संख्या (3) क्रम संख्या .... से ... तक
9. **पेपर सील का लेखा**
   (क) आपूर्त्ति किए गए पेपर सीलों का क्रम संख्या ..... से ..... तक
   (ख) आपूर्त्ति किए गए पेपर सीलों की कुल संख्या .....
   (ग) व्यवहृत पेपर सीलों की कुल संख्या .....
   (घ) अव्यवहृत पंपर सीलों की कुल संख्या.....
   (ड.) निर्वाची पदाधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की कुल संख्या (ख–घ)
   (च) क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो .....

'जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

तिथि.....
स्थान.....

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–18
(नियम 66 एवं 84 देखिये)

पेपर सील लेखा

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम–

स्थान –

(भाग – एक)

क्रमांक	व्यवहृत मतपेटी/ **ई0वी0एम0** की संख्या	व्यवहृत पेपरसील का अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4

(भाग – दो)

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. प्राप्त **पेपरसील** की संख्या	..... से	.....
2. व्यवहृत **पेपरसील** की संख्या	..... से	.....
3. नष्ट **पेपरसील**, यदि हो, की संख्या	..... से	.....
4. अव्यवहृत **पेपरसील**, जिसे निर्वाची पदाधिकारी को वापस किया गया [1–(2 + 3)]	..... से	.....

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर –

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

स्थान –
दिनांक –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–19
(नियम 98 देखिये)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र

भाग – 1

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

टेबुल संख्या	चक्र संख्या	
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1. 2. 3. 4.		
योग :–		

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या– .....

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या– .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या– .....

(क + ख)

मतगणना का स्थान :–
तिथि :–

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–19
(नियम 98 देखिये)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र

भाग – 2

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य *निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या								
		प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र	तृतीय चक्र	चतुर्थ चक्र	पंचम चक्र	षष्ठम चक्र	सप्तम चक्र	अष्ठम चक्र	कुल योग

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(क) विधिमान्य मतों की संख्या– .....

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या– .....

(ग) डाले गये मतों की संख्या– .....

(क + ख)

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–20
(नियम 103 देखिये)

निर्वाचन परिणाम की विवरणी

शहरी स्थानीय निकाय–

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
योग –		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या– .....

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या– .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या– .....

(क+ख)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि–

नाम– .....

पता– .....

उपर्युक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की वार्ड पार्षद/ सदस्य पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थानः–

तिथि :–

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–21
(नियम 103 देखिये)

निर्वाचन परिणाम की विवरणी

शहरी स्थानीय निकाय ..... के *महापौर/ *अध्यक्ष का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या– .....

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या– .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या– .....

(क + ख)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि–

नाम– .....

पता– .....

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थानः–

तिथि :–

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–22
(नियम 49 एवं 104 देखिये)

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक .... माह ..... वर्ष .....को श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो श्री/सुश्री/श्रीमती ....के पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो मोहल्ला ..... वार्ड ..... पोस्ट.....थाना... .....शहर ..... जिला ..... के निवासी हैं, को .....(पद लिखें) के रूप में .....(निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (संख्या/नाम लिखें) से जो ....(आरक्षण कोटि लिखें) के लिए आरक्षित है/अनारक्षित है, सम्यक रूपेण (सविरोध/निर्विरोध) निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण–पत्र दिया है।

स्थान–

तिथि–

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–23
(नियम 105 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2012 के नियम **105** के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में नामित व्यक्ति स्तंभ (2) में अंकित पद पर स्तंभ (5) में वर्णित शहरी स्थानीय निकाय के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है–

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			शहरी स्थानीय निकाय जिससे पद संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5

स्थान–

तिथि–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–
जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

टिप्पणी– (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तंभ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाय, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाय।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तंभ 4 में ''महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाय। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ''अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाय।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र– 24
(नियम 39 देखिये)

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से

..... (पद का नाम) के निर्वाचन के लिए

मैं अभ्यर्थी, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ..... आयु .....वर्ष ..... निवासी ..... उपरोक्त निर्वाचन में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद्द्वारा शपथ लेता हूँ :– (जो लागू न हो उसे काट दें)

1. निम्नलिखित मामला/मामले मेरे विरूद्ध लंबित है जिसकी न्यायालय को जानकारी है :

(i) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण, जिसकी न्यायालय को जानकारी है :
(ii) न्यायालय जिसको जानकारी है :
(iii) मामला सं0 :
(iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
(v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरूद्ध संशोधन के लिए दाखिल की गई अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण :

2. कि मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल, बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ ।

(क) चल परिसम्पत्ति के विवरण :–
(संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसंपत्तियों को भी बताना होगा)

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित –1 का नाम	आश्रित –2 का नाम	आश्रित –2 का नाम
1	नकद					
2	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर वित्तीय कंपनियों में जमा धन राशि					
3	कंपनियों में बोंड, डिबेन्चर और शेयर					
4	अन्य वित्तीय साधनों एन.डाक बचत; एल.आई.सी पालिसी आदि					
5	मोटर वाहन (कंपनी मॉडल आदि का विवरण)					
6	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें)					
7	अन्य परिसम्पत्तियां जैसे दावे की कीमत/ब्याज					

टिप्पणी : सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में बॉड/शेयर/डिबेन्चर की कीमत, स्टाक एक्सचेंज की अध्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में खातों के अनुसार दी जाय ।

(ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

(टिप्पणी : संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित –1 का नाम	आश्रित –2 का नाम	आश्रित –2 का नाम
1	<u>कृषि भूमि</u> – स्थिति (स्थितियॉ) – सर्वेक्षण संख्या – विस्तार (कुल माप) – वर्तमान बाजार कीमत					
2	<u>गैर कृषि भूमि</u> – स्थिति (स्थितियॉ) – सर्वेक्षण संख्या – विस्तार (कुल माप) – वर्तमान बाजार कीमत					
3	भवन (व्यवसायिक और आवासीय) – स्थिति (स्थितियॉ) – सर्वेक्षण /दरवाजा नंबर – विस्तार (कुल माप) – वर्तमान बाजार कीमत					
4	मकान/अपार्टमेन्ट आदि – स्थिति (स्थितियॉ) – सर्वेक्षण/दरवाजा नंबर – विस्तार (कुल माप) – वर्तमान बाजार कीमत					
5	अन्य (संपत्ति से ब्याज आदि)					

3. मैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों को बकाया अपनी देयताओं/अति देयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ ।

(टिप्पणी – कृपया प्रत्येक मद के लिए अलग विवरण दें)

क्र0 सं0	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) विभाग (विभागों) का नाम और पता	दिनांक को बकाया राशि
(क)(I)	बैंक से ऋण		
(II)	सरकारी देयताएं (आयकर और सम्पत्ति करके अतिरिक्त) किसी सार्वजनिक कार्यालय में काम कर रहे हों या काम कर चुके हों, की स्थिति में 'नो ड्यू' प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।		
(ख)(I)	अधिभार सहित आयकर (जिस वर्ष तक आयकर विवरणी दाखिल की गई, दस निर्धारण वर्ष का भी उल्लेख करें) अपना स्थायी लेखा नम्बर (पी0ए0एन0 (पैन) भी दें)		
(II)	संपत्ति कर (संपत्ति की विवरणी किस निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई, उसका भी उल्लेख करें)		
(III)	संपत्ति कर		

4. मेरी शैक्षिक योग्यताएँ निम्नलिखित है :–

(स्कूल/विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष (स्कूल तथा विश्वविद्यालय का विवरण भी दें) का विवरण भी अवश्य दें जिस वर्ष वह कोर्स पूरा किया गया था)

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इस का कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है ।

वर्ष ..... 200..... के ..... दिन को ..... स्थान पर सत्यापित

अभिसाक्षी

शपथकर्ता

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–25
(नियम 43 देखिये)

नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

जिला का नाम – .....

अनुमंडल का नाम – .....

शहरी स्थानीय निकाय का नाम .....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या.....

पद का नाम .....शहरी स्थानीय निकाय के **महापौर**/ अध्यक्ष

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पूरा पता	**आवंटित निर्वाचन प्रतीक**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–26
(नियम 57 एवं 77 देखिये)

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का पहचान पत्र

श्री ..... जो .....शहरी स्थानीय निकाय के *महापौर/ *अध्यक्ष/*वार्ड पार्षद/ सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी/निवार्चन अभिकर्ता हैं को *नगर निगम/ *नगर परिषद वर्ग 'क'/ *नगर परिषद वर्ग 'ख'/ *नगर पंचायत के *निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... के लिए यह पहचान पत्र निर्गत किया जाता है जिसपर उनके हस्ताक्षर मेरे द्वारा अभिप्रमाणित हैं।

निर्वाची पदाधिकारी के
(नाम,हस्ताक्षर व मुहर)

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि .....
स्थान .....

अभिप्रमाणित

निर्वाची पदाधिकारी

(मुहर)

तिथि .....

स्थान .....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुसूची – 2

पीठासीन पदाधिकारी को प्रति मतदान केन्द्र के लिए दी जानेवाली निर्वाचन सामग्रियों की सूची का चेकस्लीप

1. पीठासीन पदाधिकारी की अनुदेश पुस्तिका –1 अदद
2. (क) मतपेटी कम से कम दो और आवश्यकतानुसार एक अतिरिक्त
   (ख) ई0वी0एम0, आवष्यकतानुसार
3. अमिट स्याही –2 अदद
4. समेदक रबर की मुहर –1 अदद
5. स्याहीयुक्त स्टाम्प पैड –3 अदद
6. मेटल सील पीठासीन पदाधिकारी के लिए –1 अदद
7. मतपत्र के प्रतिपर्ण से अलग करने के लिए धातु की पट्टी –2 अदद
8. क्रास रबर मोहर मत देने के लिए –4 अदद
9. निर्वाचन सूची की कार्यकारी प्रति –5 अदद
10. मतपत्र– मतदाताओं की संख्या के अनुसार सभी निर्वाचन क्षेत्र का
11. पेपरसील– 4 (संख्याकित)
12. सादा कागज –10 शीट
13. कार्बन – 2 शीट
14. डॉट पेन –1 अदद
15. सीलिंग वैक्स –5 अदद
16. मतपेटिका के लिए कपड़े का थैला मतपेटिका के आकार के अनुसार–3 अदद
17. वोटिंग कम्पाटमेन्ट –2 अदद
18. सुती – 50 ग्राम
19. बॉलथ्रेड – 1 बंडल छोटा
20. दियासलाई – 1 अदद
21. ब्लेड – 1 अदद
22. लचकदार तार – 1 मीटर
23. मोमबत्ती –4 अदद

24. अमिट स्याही रखने के लिए डब्बा –1 अदद

25. निर्वाचकों के अंगूठे से स्याही का निशान मिटाने के लिए रद्दी कपड़ा – 1/4 मीटर

26. आलपीन – 1 छोटा पैकेट

27. गोंद की छोटी बोतल –1 अदद

28. कार्ड बोर्ड –4 अदद

29. सादा लिफाफा – (छोटा–15, बड़ा–10)

30. पैकिंग पेपर –3 शीट

31. उजला सूता वाला रीबन (मतपेटी बांधने के लिए) – 8 मीटर

32. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का क्रमांकित प्रपत्र– 33 – दो प्रति

33. निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र –

34. मतपत्र लेखा प्रपत्र– 17/ 17 'क'– 4 प्रति

35. पेपरसील लेखा प्रपत्र– 18–4 प्रति

36. निविदत मतों की सूची प्रपत्र– 16–4 प्रति

37. दृष्टिहीन/विकलांग/शिथिलांग मतदाताओं के लिए प्रपत्र – 15 –15 प्रति

38. अभ्याक्षेपित मतों का प्रपत्र – 14–20 प्रति की एक छोटी रसीद बही के रूप में ।

39. मतदान प्रारंभ करने एवं समाप्त करने की घोषणा पत्र– 2 प्रति प्रत्येक का ।

40. व्यवहृत होनेवाले मतपेटियों का लेबल –4 प्रति

41. अभ्याक्षेपन से संबंधित जप्त राशि के लिए रसीद बही – 20 पृष्ठों का – 1 प्रति

42. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा की जानेवाली शिकायत के लिए प्रपत्र– 34–5 प्रति

टिप्पणी :–

उपर्युक्त निर्वाचन सामग्रियों में से निम्नलिखित सामग्रियॉ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित केन्द्र पर लौटा दी जाएगी ।

(क) (1) स्टाम्प पैड (2) पीठासीन पदाधिकारी के लिए धातु की मुहर (3) क्रॉस रबर मोहर (4) पुशर (5) धातु की पट्टी (6) प्रभेदक रबर मुहर (7) अव्यवहृत मतपेटी (8) अमिट स्याही रखने का डिब्बा (9) कपड़े का थैला जो व्यवहृत नहीं हो सका (10) जूट का पुराना बोरा

(ख) ऐसी कोई सामग्री जो मूलतः नहीं आपूर्ति की गई हो तथा किसी असामान्य कारणवश उसकी आवश्कयता मतदान केन्द्र पर पड़ जाती है तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र पर ही व्यवस्था करेंगे तथा उस पर व्यय होनेवाली राशि का भुगतान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा । परंतु ऐसी स्थिति कभी–कभी आती है ।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–28
(नियम 55 एवं 75 देखिये)

मतदान प्रारंभ होने के समय घोषणा

मैं ..... पीठासीन पदाधिकारी, मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम .....शहरी स्थानीय निकाय ..... अनुमंडल .....जिला ..... दिनांक .... को ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न मतदान आरंभ करने की घोषणा करता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि –

1. मैने मतदान प्रारंभ होने के पूर्व *मतपेटिकाओं/ ***ई0वी0एम0** को मतदान केन्द्र पर उपस्थित *अभ्यर्थी/***निर्वाचन अभिकर्ता**/*मतदान अभिकर्ता को दिखा दिया है तथा वे लोग जांचकर संतुष्ट हो गये हैं ।

2. मैने *मतपेटी / ***ई0वी0एम0** में पेपरसील उनके सामने सील किया।

3. मैने मतदाता सूची जो मतदान कार्य में व्यवहृत होगी को दिखा दिया है।

उपस्थित अभ्यर्थी/**निर्वाचन अभिकर्ता**/मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी (नाम व हस्ताक्षर)

1.

2.

3.

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–29
(नियम 65 एवं 83 देखिये)

मतदान कार्य समाप्ति के समय घोषणा

मैं ..... पीठासीन पदाधिकारी, मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम .....शहरी स्थानीय निकाय ..... अनुमंडल .....जिला ..... दिनांक .... को ..... बजे अपराह्न/पूर्वाह्न मतदान समाप्ति की घोषणा करता हूँ । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इन व्यवहृत *मतपेटियों/ ***ई0वी0एम0** को अंतिम रूप से मुहरबंद करते समय उपस्थित *अभ्यर्थी/***निर्वाचन अभिकर्ता/***मतदान अभिकर्ता को दिखा दिया है जिसपर उनका भी मुहर/हस्ताक्षर है ।

उपस्थित अभ्यर्थी/ **निर्वाचन अभिकर्ता**/

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी

(नाम व हस्ताक्षर)

1.

2.

3.

———————————————————————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–30
(नियम 68 एवं 86 देखिये)

व्यवहृत मतपेटिका एवं स्टेचुटरी पैकेट/पीठासीन पदाधिकारी की डायरी की पावती रसीद

जिला का नाम ....अनुमंडल का नाम...............................शहरी स्थानीय निकाय का नाम........ .... निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या .... कुल व्यवहृत एवं बन्द *मतपेटी/*ई0वी0एम0 की संख्या .... मुहरबंद पैकेट का विवरण ....

तिथि ....

पीठासीन पदाधिकारी का नाम
एवं पूर्ण हस्ताक्षर

प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर
(स्ट्रांग रूम के दण्डाधिकारी का नाम एवं
पूर्ण हस्ताक्षर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–31
(नियम 96 देखिये)

मतगणना पर्यवेक्षक/मतगणना सहायक का नियुक्ति आदेश

जिला का नाम ..... शहरी स्थानीय निकाय ..... अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय के *महापौर/*अध्यक्ष/*वार्ड पार्षद/ सदस्य पद के निर्वाचन हेतु दिनांक ..... को किये गये मतदान के मतों की गणना कार्य के लिए मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी (पदनाम) .....निम्नलिखित कर्मियों को मतगणना केन्द्र .....के मतगणना कक्ष संख्या ..... में मतदान पर्यवेक्षक/मतगणना सहायक के रूप में नियुक्त करता हूँ।

मतदान कार्य दिनांक– ..... को ..... बजे अपराह्न/ पूर्वाहन उपर्युक्त विनियत भवन में किया जाएगा ।

1. श्री ..... (मतगणना पर्यवेक्षक)

   कार्यालय का नाम जहॉ

   पदस्थापित है ।

2. श्री ..... (मतगणना सहायक)

   कार्यालय का नाम जहॉ

   पदस्थापित है ।

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–32
(नियम 28 देखिये)

पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी का नियुक्ति आदेष

..... शहरी स्थानीय निकाय के *महापौर/*अध्यक्ष/*वार्ड पार्षद/ सदस्य पद के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी .....नीचे तालिका में लिखित कर्मी को पीठासीन/मतदान पदाधिकारी नियुक्त करता हूँ–

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्र जहॉ स्थित है, शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पीठासीन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	मतदान पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पीठासीन पदाधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान पदाधिकारी का नाम जो प्रभार में रहेंगे ।
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5.				

मतदान कार्य ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न दिनांक– ..... समय ..... बजे से ..... बजे तक होगा । पीठासीन पदाधिकारी अपने मतदान दल के साथ दिनांक– ..... को ..... बजे .... प्रांगण में मतदान सामग्रियों की प्राप्ति हेतु उपस्थित हों ।

तिथि .....

स्थान .....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

———————————————————————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–33
(नियम 70 देखिये)

पीठासीन पदाधिकारी की डायरी

शहरी स्थानीय निकाय के *महापौर/*अध्यक्ष/*वार्ड पार्षद/ सदस्य का निर्वाचन

1. जिला एवं शहरी स्थानीय निकाय का नाम–
2. मतदान की तिथि–
3. मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम–
4. मतदान केन्द्र किस प्रकार के भवन में स्थित है –
   सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी/चलन्त
5. मतदान दल के किसी सदस्य की अनुपस्थिति
   में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त
   मतदान पदाधिकारी का नाम, पता एवं
   नियुक्ति करण (यदि कोई हो)
6. मतदान केन्द्र पर व्यवहृत मतपेटियों की संख्या–
   *बड़ी मतपेटी का अनुक्रमांक..... कुल
   *छोटी मतपेटी का अनुक्रमांक..... कुल
7. मतदान में भाग लेनेवाले मतदाताओं का विवरण

पद	मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या			मतदाता जिन्होनें मतदान किया			मतदान का प्रतिशत
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
*नगर निगम के महापौर/ वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'क' के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'ख' के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद *नगर पंचायत के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद							

8. मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता की उपस्थिति का विवरण –

	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	अभिकर्ता की संख्या
*नगर निगम के महापौर/ वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'क' के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद *नगर परिषद वर्ग 'ख' के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद *नगर पंचायत के अध्यक्ष/ वार्ड पार्षद		

9.	अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त ब्योरा	.....
10.	दृष्टिहीन एवं शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई।	.....
11.	अभ्याक्षेपित (चैलेनज्ड) मतों की संख्या जब्त की गई धनराशि	.....
12.	निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या	.....
13.	यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि (विस्तृत टिप्पणी विषद् विवरण पृथक रुप से संलग्न करें)	.....
14.	सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय	.....
15.	अथ्याक्षेपित (Challenged) मत के प्रसंग में प्रतिरुपण (Impersonation) के फलस्वरुप पुलिस को सौंपे गये प्रकरणों की संख्या	.....
16.	अन्य महत्त्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो जैसे एक सौ मीटर के भीतर पचार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने, सूची/सूचना अथवा अन्य कागजात, मतपेटी को नष्ट करने प्रवास, मतदात या अन्य व्यक्ति को धमकाने, कोई भूल, विधि व्यवस्था में भंग करने के मामले इत्यादि)	.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

तारीख.....

.....
पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

90 प्रतिशत एवं उससे ऊपर मतदान की स्थिति में तारांकित कर दें ।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय
(EVM ds lanHkZ esa)

प्रपत्र–33 (क)
(नियम 88 देखिए)

पीठासीन पदाधिकारी की डायरी

जिला.....

शहरी स्थानीय निकाय का नाम.....

शहरी स्थानीय निकाय के 'महापौर/ 'अध्यक्ष/ 'वार्ड पार्षद/सदस्य का निर्वाचन

1. मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या .....
2. मतदान की तिथि .....
3. मतदान केन्द्र क्या यह
   (1) सरकारी या अर्धसरकारी भवन .....
   (2) निजी भवन .....
   (3) चलंत संरचना में अवस्थित हैं .....
4. स्थानीय रुप से भरती किए गए मतदान पदाधिकारियों की संख्या यदि कोई होः
5. सम्यक् रुप से नियुक्त मतदान पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान पदाधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति का कारण :
6. वोटिंग मषीन
   (1) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या .....
   (2) प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या .....
   (3) प्रयुक्त बैलेट यूनिट की संख्या .....
   (4) प्रयुक्त बैलेट यूनिट की क्रम संख्या .....
7. पेपर सील
   (1) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या .....
   (2) प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या .....
8. स्पेषल टैग
   (1) आपूरित स्पेषल टैगों की संख्या .....
   (2) आपूरित स्पेषल टैगों की क्रम संख्या .....
   (3) प्रयुक्त स्पेषल टैगों की संख्या .....
   (4) प्रयुक्त स्पेषल टैगों की क्रम संख्या .....
   (5) वापस किए गए अप्रयुक्त स्पेषल टैगों की क्रम संख्या .....

9. स्ट्रीप सील

(1) आपूरित स्ट्रीप सीलों की संख्या .....

(2) आपूरित स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या .....

(3) प्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की संख्या .....

(4) प्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या .....

(5) वापस किए गए अप्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या .....

10. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या

11. ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं:

12. (1) मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या

(2) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या

(3) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया है:

(4) वोटिंग मषीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की संख्या

....

प्रथम मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

13. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए

(क) पुरुश .....

(ख) महिला .....

(ग) कुल योग .....

14. चुनौती दिए गए मत (अभ्याक्षेपित मत)

(क) स्वीकृत किए गए की संख्या .....

(ख) अस्वीकृत किए गए की संख्या .....

(ग) जब्त की गई राषि .....

15. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए:

16. निविदित मतों की संख्या .....

17. निर्वाचकों की संख्या .....

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोशणाएं प्राप्त की गई हो .....

(ख) जिन्होंने ऐसी घोशणाएं करने से इन्कार किया हो .....

18. क्या मतदान स्थगित करना आवष्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन का कारण,

19. डाले गए मतों की संख्या .....
7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक .....
9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक .....
11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक .....

1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक .....
3 बजे अपराह्न से 4 बजे या 5 बजे अपराह्न तक .....

20. मतदान समाप्त होने के समय पर निर्गत पर्चियों की संख्या .....

21. ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध मामलों की संख्या .....

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर के भीतर मत याचना .....

(ख) मतदाताओं का प्रतिरुपण करना .....

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी नोटिस की सूची या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित करना, विनश्ट कराया या

हटाना .....

(घ) मतदाताओं को रिष्वत देना.....

(ड.) मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों का प्दजपउपकंजपवद३३३३३३ण्ण्

(च) बूथ कब्जा.....

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुईः

(1) बबाल .....

(2) खुली हिंसा .....

(3) प्राकृतिक आपदा .....

(4) बूथ पर कब्जा .....

(5) मतदान मषीन की विफलता .....

(6) अन्य कोई कारण .....

(पूर्ण ब्यौरा दें)

23. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी भी मतदान मषीन कोः

(क) पीठासीन पदाधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक 3प से छीनकर,

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नश्ट करके .....

(ग) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूशित किया गया .....

कृपया ब्यौरा दें।

24. अभ्यार्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर षिकायतें, यदि कोई हो.....

25. विधि एवं व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या .....

26. मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई होः .....

27. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व और यदि आवष्यक हो मतदान के बीच यदि किसी नई वोटिंग मषीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवष्यक हो, घोशणाएं की हैं।

स्थान–

तिथि–

पीठासीन पदाधिकारी

(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–34
(नियम 71 एवं 89 देखिये)

मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाने वाला शिकायत–पत्र

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी,

शहरी स्थानीय निकाय .....

जिला .....

विषय :–

महाशय,

मैं ..... पीठासीन पदाधिकारी, मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम ..... शहरी स्थानीय निकाय ..... सूचित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्री/पुत्र/पत्नी ..... शहरी स्थानीय निकाय ..... थाना ..... अनुमंडल ..... मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आए। कुछ लोगों ने बलपूर्वक मतदान को रोक दिया/मतपत्र लेकर भाग गए/ अन्य कारण .....। इसके चलते मतदान केन्द्र संख्या .....पर मतदान कार्य बाधित हो गया या बन्द कर दिया गया।

सूचनार्थ एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–35
(नियम 55 एवं 75 देखिये)

मतपेटी/ई0वी0एम0 पर चिपकाने के लिए लेबल

1. जिला का नाम –

2. अनुमंडल का नाम –

3. नगरपालिका/शहरी स्थानीय निकाय का नाम –

4. मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या –

5. मतपेटी/ ई0वी0एम0 (बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट) का क्रमांक –

6. मतदान की तिथि –

पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–36
(नियम 68 एवं 86 देखिये)

मतदान के बाद निर्वाचन में व्यवहृत मतपेटिकाओं/ई0वी0एम0 मशीनों के भंडारण हेतु लॉग बुक

1. स्थान एवं भवन का नाम –

2. अनुमंडल –

3. जिला–

मतपेटिका/ई0वी0एम0 प्राप्त करने की तिथि	समय	जमा करने वाले पदाधिकारी का नाम	मतपेटिकाओं/ई0वी0एम0 मशीनों की संख्या	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी	व्यवहृत मतपत्र/मत एवं पेपर सील लेखा
1	2	3	4	5	6

जमा करने वाले पदाधिकारी
के हस्ताक्षर

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी
के हस्ताक्षर

पोलिंग पार्टी सं0– .....

तिथि .....

गश्ती दल संख्या– .....

स्थान .....

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–37
(नियम 92 देखिये)

मतगणना हेतु तिथि, समय व स्थान के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को सूचना

शहरी स्थानीय निकाय.....

के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड पार्षद के लिए –

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी ..... यह सूचना निर्गत करता हूँ कि दिनांक– ..... को .... बजे अपराह्न/पूर्वाहन ..... भवन में मतों की गणना की जाएगी। मतों की गणना में उपस्थित होने के लिए यह सूचना निर्गत की जाती है ।

तिथि .....

स्थान .....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–38
(देखें नियम–107)

उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक की सूचना

सेवा में,
..... (नाम से)

*नगर निगम/ *नगर परिषद/ *नगर पंचायत
..... के सदस्य .....

महोदय,

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 107 के अध्यधीन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 28 के अधीन उपमहापौर/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिये नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत .....की बैठक तारीख.....को ..... (बजे) ..... .(स्थान) पर की जायेगी। उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

.....
जिला दण्डाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

स्थान.....
तरीख.....

———————————————————————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–39
(देखें नियम–109)
उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र

.....नगरपालिका के उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए

अभ्यर्थी का पूरा नाम .....
उसका पता .....
प्रस्तावक का पूरा नाम .....
उसका पता .....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर

समर्थक का पूरा नाम .....
उसका पता .....

समर्थक का हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी की घोषणा)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अपने नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

स्थान.....
तरीख.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी का आदेष)

नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत/*अस्वीकृत किया जाता है।

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

***अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।**

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–40

(देखें नियम–110(2)(क)(i))

उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतपत्र

.....नगरपालिका के उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	क्रॉस चिन्ह् (X) के लिए स्थान

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–41
(देखें नियम–110(3))
उपमहापौर/ उपाध्यक्ष से संबंधित निर्वाचन परिणाम की विवरणी एवं घोषणा

.....नगरपालिका के उपमहापौर/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन

क्रमांक	**अभ्यर्थी का नाम**	**अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की संख्या**

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –
(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या –
(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या – (क+ख)

मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि
नाम.....
पता.....

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान.....
तरीख.....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र–42
(नियम 110(4) देखिये)

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....को श्री/सुश्री/श्रीमती ..... जो श्री/सुश्री/श्रीमती .....के पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो मोहल्ला ..... वार्ड ..... पोस्ट..... थाना.....शहर ..... जिला ..... के निवासी हैं, को उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के रूप में .....नगरपालिका से जो अनारक्षित है, सम्यक रूपेण (सविरोध/निर्विरोध) निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण–पत्र दिया है।

स्थान–

तिथि–

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)